UPSC-CSE 2027/28

DAILY CURRENT AFFAIRS

ONE STOP SOLUTION

By **Faiyaz Sir**



The Indian EXPRESS

THE HINDU

pib PRESS INFORMATION BUREAU

11 NOVEMBER

COMPLETE COVERAGE | EXAM FOCUSED | ANALYSIS MADE EASY | STATIC + CURRENT INTEGRATION

STAY AHEAD STAY PREPARED


जेके रॉलिंग
(J.K. Rowling)
“असफलता से डरना मत, क्योंकि असफलता से ही हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है।”
Dream
Prepare
Achieve
UPSC

आज क्या पढ़ेंगे?

- राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस
- जहाँ मशरूम जड़ें जमाते हैं
- Centre State Relation
- Reservation – OBC Creamy Layer
- Air Pollution
- Mega Dams in Arunachal Pradesh
- Strategic Autonomy
- Transparency is Necessary for democracy
- US Court Allows Suit on NSA
- Ukraine – Russia Peace talk
- Jensen Huange – Honey Trap
- Pakistan Blames Diwali for Air Pollution
- The end of Everything – Booker Prize
- Belonging – A Journey of Love
- Sanjeeth Bunker Roy
- Namaste Scheme

Economy

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस

Posted On: 09 NOV 2026 6:07PM

9 नवंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस, विकसित भारत @ 2047 की दिशा में भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है। डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त 2.62 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है, जो युवाओं के लिए रोजगार सृजन और नए अवसरों का विस्तार कर रहा है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स, सीजीएसएस, एसआईएसएफएस, अटल नवाचार मिशन और पीएमईजीपी जैसी सरकारी पहलें नवाचार, वित्त तक पहुँच, मार्गदर्शन और उद्यमों की स्थापना में सहायता कर रही हैं। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग आधे टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभर रहे हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्यमिता का विस्तार हो रहा है। भारत की 'अमृत पीढ़ी' तेजी से अपने विचारों को उद्यमों में परिवर्तित कर रही है, जिससे आजीविका के अवसर सुदृढ़ हो रहे हैं और समावेशी आर्थिक विकास को गति मिल रही है।

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस: विकसित भारत के लिए युवाओं को सशक्त बनाना

क्या आप जानते हैं?

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014 को की गई थी। इस दिन को **राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस** के रूप में मनाया जाता है, जो भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता के महत्व को दर्शाता है।

- भारत ने महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। लगभग **65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु** की होने के कारण भारत के लिए यह प्रगति विशेष महत्त्व रखती है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश की इस क्षमता को पहचानते हुए, सरकार ने उद्यमिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए अनेक पहलें की हैं।
- पिछले एक दशक में, युवा केवल योजनाओं के लाभार्थी बने रहने के बजाय राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं। आज **विकसित भारत @ 2047** के विजन को साकार करने की दिशा में **'अमृत पीढ़ी'** प्रमुख प्रेरक शक्ति बनकर उभर रही है। इस परिवर्तन में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो युवा भारतीयों को अपने विचारों को उद्यमों में बदलने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और आर्थिक विकास में योगदान देने में सक्षम बना रही है।
- भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता के महत्व को स्वीकार करते हुए 9 नवंबर 2014 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को **राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम में विकास के प्रमुख संकेतक

क्या आप जानते हैं?

- सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता प्रदान की, जो वर्ष 2016 से अब तक किसी एक वित्त वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की सर्वाधिक संख्या है!



- नौकरी तलाशने वालों से रोजगार सृजित करने वालों के रूप में युवाओं का उभरना भारत में बढ़ती उद्यमशीलता की भावना को दर्शाता है।
- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम** बनकर उभरा है। देश में स्टार्टअप की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह संख्या **2014 में 500 से भी कम** थी, जो बढ़कर 2.62 लाख डीपीआईआईटी - मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हो गई है (नवम्बर 2026)। भारतीय स्टार्टअप तेजी से आईपीओ ला रहे हैं, रोजगार के अवसरों का सृजन कर रहे हैं और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
- विशेष रूप से, देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्टार्टअप की उपस्थिति है। 31 मार्च 2026 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के मामले में **महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात प्रमुख** राज्यों एवं क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।
- स्टार्टअप्स ने **25 लाख से अधिक रोजगार (अक्टूबर 2026 तक)** सृजित किए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में वित्त वर्ष 2025-26 में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में साल-दर-साल 51.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसी अवधि के दौरान सृजित प्रत्यक्ष रोजगारों में 36.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- इसके अतिरिक्त, **1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक या साझेदार हैं,** जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का लगभग 48 प्रतिशत है। (मार्च 2026 तक)

भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को सशक्त बनाने वाली योजनाएँ

- सरकार की नीतिगत सहायता, नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली पहलों, वित्त तक आसान पहुँच और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे भारत में उद्यमिता का निरंतर विस्तार हो रहा है।

स्टार्टअप इंडिया पहल

- स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। समय के साथ यह पहल केवल नीतिगत ढाँचे तक सीमित न रहकर एक व्यापक और बहुआयामी मंच के रूप में विकसित हुई है, जो स्टार्टअप्स को विचार के प्रारंभिक चरण से लेकर उनके परिचालन के विस्तार तक प्रत्येक स्तर पर सहायता प्रदान करता है। नवाचार आधारित उद्यमिता को गति देने के उद्देश्य से, **स्टार्टअप इंडिया पहल के जरिए अनेक प्रमुख योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और अपने कारोबार का विस्तार करने में सहयोग प्रदान किया जाता है।**

- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस)** : एफएफएस, स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना के अंतर्गत **डीपीआईआईटी** की एक प्रमुख पहल है, जिसका प्रबंधन **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)** द्वारा किया जाता है। 10,000 करोड़ रुपये के कुल कोष वाली इस योजना के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत **वैकल्पिक निवेश कोषों (एआईएफ)** के जरिए स्टार्टअप्स में निवेश किया जाता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू जोखिम पूंजी तक स्टार्टअप्स की पहुँच बढ़ाना और भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। **स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0** को अप्रैल 2026 में अधिसूचित किया गया, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक अलग कोष निर्धारित किया गया है। यह विशेषकर डीप-टेक, नवाचार आधारित विनिर्माण तथा विकास के प्रारंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स के लिए उद्यम और विकास पूंजी जुटाने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पहल के अंतर्गत, 1,475 स्टार्टअप्स में 28,254 करोड़ रुपये का निवेश करने वाले 166 वैकल्पिक निवेश कोषों (अक्टूबर 2026 तक) के लिए सिडबी ने 12,623 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता जताई है।

- **स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएस):** **सीजीएसएस** अप्रैल 2023 से संचालित है और यह योजना पात्र वित्तीय संस्थानों के जरिए पात्र स्टार्टअप्स को बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करती है। पूंजी जुटाने को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2025-26 में प्रति ऋणकर्ता के लिए योजना के अंतर्गत गारंटी कवर की सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दी गई। इसके अतिरिक्त, एयरोस्पेस और रक्षा, जैव प्रौद्योगिकी, रेलवे, पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाओं तथा वित्तीय सेवाओं आदि जैसे 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2026 तक, स्टार्टअप्स को दिए गए 532 ऋणों के लिए कुल 1,662.71 करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान की गई है। इन स्टार्टअप्स में 41,637 लोग कार्यरत हैं।

- **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (एसआईएसएफएस):** 945 करोड़ रुपये के कुल कोष वाली **एसआईएसएफएस** के अंतर्गत स्टार्टअप्स को अवधारणा की व्यवहार्यता के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पाद परीक्षण, बाजार में प्रवेश और व्यावसायीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन, संचालन और निगरानी की देखरेख एक **विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)** द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 4,194 स्टार्टअप्स के लिए 244 इनक्यूबेटरों के माध्यम से 775.67 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इनमें 2,147 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स और टियर-2 एवं टियर-3 शहरों के 2,356 स्टार्टअप्स शामिल हैं।

- **स्टार्टअप इंडिया हब** : स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब (2017) एक डिजिटल मंच है, जो भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त करने, एक-दूसरे से जुड़ने और आपसी सहयोग करने में सक्षम बनाता है। यह मंच इच्छुक उद्यमियों को निवेशकों, मार्गदर्शकों और इनक्यूबेटरों से जोड़ने के साथ-साथ निवेश कोषों, शैक्षणिक संस्थानों, कॉरपोरेट जगत और सरकारी निकायों को एक साझा मंच पर लाता है। इसका उद्देश्य एक परस्पर सम्बद्ध और सहयोगी स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना है।

- **राष्ट्रीय मेंटरशिप पोर्टल (एमएएआरजी):** मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलिएंस एंड ग्रोथ (एमएएआरजी) कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप्स को अनुभवी मार्गदर्शकों से जोड़कर उन्हें आसानी से मेंटरशिप की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों, विकास के अलग-अलग चरणों और भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। यह उन्हें महत्वपूर्ण सलाह देने, व्यावसायिक विकास को गति देने और भारत के उद्यमिता इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है।

- **स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल**: सिडबी के सहयोग से विकसित स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल (2023) स्टार्टअप्स, उद्यम पूंजी निधियों और निवेशकों के बीच संपर्क को सुगम बनाता है, विशेष रूप से शुरुआती चरण के उद्यमों को सहायता प्रदान करता है। यह पोर्टल उद्यमियों को एक ही अनुप्रयोग के माध्यम से अनेक निवेशकों तक पहुँच कायम करने में सक्षम बनाता है, जिससे उनके व्यावसायिक विचारों को निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने और संभावित वित्तपोषण के अवसर प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। 9 नवंबर 2026 तक इस पोर्टल पर 11,582 स्टार्टअप्स पंजीकृत हैं।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम)

- नीति आयोग द्वारा वर्ष 2016 में शुरू किया गया अटल नवाचार मिशन (एआईएम), विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की सरकार की एक प्रमुख पहल है। एआईएम नवाचार कार्यक्रमों के विकास, विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक एकीकृत ढाँचा प्रदान करता है। नवंबर 2024 में स्वीकृत एआईएम 2.0 के लिए मार्च 2028 तक 2,750 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। यह व्यापक जनभागीदारी, स्टार्टअप्स को अधिक सुदृढ़ सहायता और क्षेत्रीय स्तर पर गहरे सहयोग के माध्यम से इस आधार को और मजबूत एवं विस्तारित करता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

- वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना किसी जमानत के 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत ऋण लेने वालों की वित्तीय आवश्यकताओं और उनके कारोबार के विकास के चरण के आधार पर चार श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है।

ऋण श्रेणी	ऋण राशि
शिशु	50,000 रुपये तक
किशोर	50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक
तरुण	5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक
तरुण प्लस	10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक

- ये ऋण विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के उद्यमों की सावधि वित्तपोषण एवं कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, मुर्गीपालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसी कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए भी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- **30 अक्टूबर 2026 तक**, पीएमएमवाई के अंतर्गत **वित्त वर्ष 2026-27 में 2.44 करोड़ से अधिक** ऋण स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि **3.3 लाख करोड़ रुपये** से अधिक है।

एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच)

- इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत वर्ष 2016 में स्थापित एमईआईटीवाई स्टार्टअप हब (एमएसएच) प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य करता है। यह एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है, जो नवाचार को बढ़ावा देने और प्रौद्योगिकी - आधारित आर्थिक विकास को गति देने के लिए इनक्यूबेशन केंद्रों, उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्रों तथा एमईआईटीवाई द्वारा समर्थित अन्य पहलों को आपस में जोड़ता है। 9 नवंबर 2026 तक, एमएसएच देशभर में 6,149 से अधिक स्टार्टअप्स, 518 इनक्यूबेटरों और 329 से अधिक प्रयोगशालाओं के विस्तारित इकोसिस्टम को सहयोग प्रदान कर रहा है।

उद्यमियों के प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन एवं विकास की योजना (टीआईडीई) 2.0 योजना

- टीआईडीई 2.0 योजना (2019) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से जुड़े स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने वाले इनक्यूबेटरों को सुदृढ़ बनाकर प्रौद्योगिकी - आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह योजना आईओटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लॉकचेन और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन (डिजिटल भुगतान सहित), बुनियादी ढाँचे एवं परिवहन तथा पर्यावरण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समग्र सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना देशभर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों में स्थित 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से संचालित की जा रही है।

जेनेसिस (जेन - नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स)

- जेनेसिस (जेन - नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) पहल का उद्देश्य भारत के विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों में लगभग 1,600 प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप्स को विस्तार देने में सहायता करना है। वर्ष 2022 में शुरू की गई यह पहल डीप-टेक नवाचार को प्रोत्साहित करने और उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता एवं अन्य सहयोग प्रदान करती है। इस पहल के लिए पाँच वर्षों की अवधि के लिए 490 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक जगत और कॉरपोरेट क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर भारत के प्रौद्योगिकी - आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है।

- अगस्त 2026 में, जेनेसिस एंटरप्रेन्योर-इन-रेजिडेंस (ईआईआर) कोहोर्ट 3 का शुभारंभ किया गया। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य इच्छुक उद्यमियों, नवाचारकर्ताओं, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और शुरुआती चरण के स्टार्टअप संस्थापकों को अपने नवाचारी विचारों को प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमों में बदलने के लिए सहायता प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि चयनित नवाचारकर्ताओं को इनक्यूबेशन, मार्गदर्शन और उत्पाद विकास संबंधी सहायता के साथ-साथ 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है।

निधि (नवाचारों के विकास एवं उपयोग के लिए राष्ट्रीय पहल)

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई निधि पहल एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ज्ञान-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित विचारों एवं नवाचारों को सफल स्टार्टअप्स के रूप में विकसित करना है। यह पहल नवाचार-आधारित उद्यमशीलता इकोसिस्टम का निर्माण करती है, जो संपदा और रोजगार सृजन के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। निधि ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 12,000 से अधिक स्टार्टअप्स और 200 से अधिक प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटरों (टीबीआई) को सहायता प्रदान की गई है, जिससे 1,30,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, इसने 1,150 से अधिक बौद्धिक संपदा (आईपी) परिसंपत्तियों के सृजन (11 अक्टूबर 2026 तक)में भी योगदान दिया है।

एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना)

- एस्पायर **ग्रामीण एवं अपेक्षाकृत कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा** देती है। यह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, कौशल विकास एवं पुनः कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक क्लस्टरों को कुशल कार्यबल प्रदान करने के उद्देश्य से आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटरों (एलबीआई) की स्थापना पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। अक्टूबर 2026 तक, इस योजना के अंतर्गत 109 एलबीआई को मंजूरी दी जा चुकी है और 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक ऋण से संबद्ध मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें उद्यम स्थापित करने की लागत पूरी करने में सहायता मिलती है। यह योजना व्यापक प्रसार और अंतिम छोर तक प्रभावी लाभ पहुँचाना सुनिश्चित करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
- **परियोजना लागत की सीमाएँ:** इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक की परियोजना लागत वाले उद्यमों को सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना सामान्य और विशेष श्रेणियों के अंतर्गत सहायता प्रदान करती है। विशेष श्रेणियों में एससी/एसटी/ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और ट्रांसजेंडर आवेदकों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

लाभार्थी श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्रों में सब्सिडी	शहरी क्षेत्रों में सब्सिडी
सामान्य श्रेणी	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत	परियोजना लागत का 15 प्रतिशत
विशेष श्रेणियाँ	परियोजना लागत का 35 प्रतिशत	परियोजना लागत का 25 प्रतिशत

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

- जून 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है।
- **ऋण एवं ऋण सुविधाएँ:** यह योजना रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराती है, जो 15,000 रुपये से 25,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये तक हो जाता है तथा इसमें ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी की सुविधा भी शामिल है। दूसरे ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करने वाले विक्रेता 30,000 रुपये की क्रेडिट सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए भी पात्र हो सकते हैं।
- **डिजिटल भागीदारी:** खुदरा और थोक डिजिटल लेनदेन करने पर विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का कैशबैक प्रदान किया जाता है।
- **कल्याणकारी योजनाओं का लाभ**: *स्वनिधि से समृद्धि* पहल के अंतर्गत, विक्रेताओं और उनके परिवारों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर केंद्र सरकार की आठ चयनित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाती है।
- 9 नवंबर 2026 तक, इस योजना के माध्यम से **80.7 लाख से अधिक लाभार्थियों** तक सहायता पहुँचाई जा चुकी थी और **20,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी थी।**

स्वावलंबिनी योजना

- वर्ष 2025 में शुरू की गई यह योजना युवा महिलाओं को उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण, वित्तीय एवं बाजार संबंधी मार्गदर्शन और कानूनी सहायता प्रदान करके व्यावसायिक विचारों को विकसित करने से लेकर उद्यमों की स्थापना तक सहायता प्रदान करती है। चयनित प्रतिभागियों को टिकाऊ उद्यम स्थापित करने में सहायता देने के लिए 21 सप्ताह तक मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है कि स्वावलंबिनी पायलट के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।



महानगरों से आगे उद्यमिता का विस्तार: टियर-2, टियर-3 शहर और ग्रामीण भारत

- भारत का उद्यमिता इकोसिस्टम पारंपरिक महानगरीय केंद्रों से आगे बढ़ रहा है। **मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से 52 प्रतिशत गैर - महानगरीय शहरों से आते हैं,** जो देश में नवाचार के बढ़ते भौगोलिक विस्तार को दर्शाता है। कम परिचालन लागत, कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता, सुदृढ़ औद्योगिक क्लस्टरों और बेहतर होते बुनियादी ढाँचे के कारण व्यवसाय तेजी से टियर - 2 और टियर - 3 शहरों को अपना केंद्र बना रहे हैं। जैसे - जैसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार का विस्तार हो रहा है, उभरते हुए शहर उद्यमिता और आर्थिक विकास की अगली लहर को गति दे रहे हैं। लक्षित आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल रहा है।
- सरकार ने अगस्त 2026 में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई - एनआरएलएम) के अंतर्गत **उद्यमिता पर राष्ट्रीय अभियान - II** की शुरुआत की। इस अभियान को 21 नवंबर 2026 तक अगले तीन महीनों के लिए जारी रखा गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता को सुदृढ़ करना और 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के संकल्प को साकार करने में योगदान देना है।
- **स्टार्ट - अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)** का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को स्थानीय उद्यम स्थापित करने और उनका विस्तार करने में सक्षम बनाकर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है। जून 2026 तक, एसवीईपी के अंतर्गत देशभर में 4.32 लाख ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की जा चुकी थी। इस कार्यक्रम में सामाजिक समावेशन और उद्यमिता के अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 86 प्रतिशत उद्यमी एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और ओबीसी समुदायों से संबंधित हैं।
- ये सभी पहलें मिलकर स्थानीय स्तर पर उद्यमों की स्थापना को सुदृढ़ कर रही हैं, आजीविका के अवसरों का विस्तार कर रही हैं और उद्यमिता को अधिक समावेशी एवं भौगोलिक रूप से संतुलित विकास में योगदान देने में सक्षम बना रही हैं।

विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की विकास यात्रा को गति देना

- भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विस्तार के चरण से आगे बढ़कर सतत विकास और वास्तविक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक गहरे एकीकरण की दिशा में अग्रसर है। जैसे – जैसे देश वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ रहा है, स्टार्टअप्स नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। इनका बढ़ता योगदान भारत की उद्यमशीलता क्षमता में हो रही वृद्धि और नवाचार-आधारित उद्यमों के दीर्घकालिक एवं समावेशी विकास को गति देने की क्षमता को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए प्रश्न

प्रश्न: 'राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस' और भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत वर्तमान में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है।
2. DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग आधे स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभर रहे हैं।
3. 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (FFS), 'CGSS' और 'SISFS' जैसी सरकारी पहलें स्टार्टअप्स को वित्त और मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायता करती हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रश्न

- **प्रश्न:** "विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।" टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Farmer's Welfare

जहाँ मशरूम जड़ें जमाते हैं, वहाँ आजीविका आकार लेती है

Posted On: 10 NOV 2026 10:25AM

स्वास्थ्यवर्धक आहार के प्रति बढ़ती रुचि के साथ ही भारत के बागवानी क्षेत्र में मशरूम की खेती का महत्व बढ़ रहा है और इसमें विकास की गुंजाइश भी मौजूद है। मशरूम अपने पोषण संबंधी गुणों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें सामान्यतः कैलोरी, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, जबकि ये प्रोटीन, डायटरी फाइबर, विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। इनकी खेती कम भूमि में तथा ग्रामीण, शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी की जा सकती है।

- **कचरा बीनने से लेकर विकास के नए अवसरों तक**

- छोटा-सा स्थान, मशरूम की खेती के कुछ बैग और एक नया कौशल - आजीविका के नए अवसरों के द्वार खोल सकते हैं। पूरे भारत में मशरूम की खेती किसानों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए आजीविका के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में उभर रही है। **आंध्र प्रदेश** के गुंटूर जिले के **इप्पटम** गाँव की **रुथु** के लिए यह यात्रा आजीविका के एक वैकल्पिक स्रोत की तलाश से शुरू हुई। 20 वर्ष की आयु में वह कचरा बीनने का काम कर रही थीं और अपनी स्वतंत्र आजीविका स्थापित करने की आकांक्षा रखती थीं।



कचरा बीनने वालों के लिए 'मशरूम उत्पादन तकनीक' का प्रशिक्षण

- ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण (एसटीआरवाई) पहल के अंतर्गत आयोजित एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यह अवसर उनके सामने आया। कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), गुंटूर ने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान किया, जिसमें कम्पोस्टिंग, स्पॉनिंग, केसिंग, पिनिंग, फसल उगाना और कटाई करना जैसे प्रमुख चरण शामिल थे। यह कार्यक्रम राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसएएमईटीआई), आंध्र प्रदेश तथा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई), हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया।

- **स्पॉनिंग** मशरूम के बीज या स्पॉन को खाद या कम्पोस्ट के साथ मिलाने की प्रक्रिया है।

- **केसिंग** स्पॉन के फैलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, खाद के ऊपर केसिंग मिट्टी की एक परत बिछाने की प्रक्रिया है, जिससे मशरूम बनने में मदद मिलती है। केसिंग मिट्टी नमी के भंडार के रूप में कार्य करती है, जिससे नमी बनाए रखने और मशरूम के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

- **पिनिंग** वह अवस्था है, जब मशरूम की छोटी-छोटी संरचनाएँ, जिन्हें पिनहेड्स कहा जाता है, केसिंग मिट्टी की सतह पर या उनके पास दिखाई देने लगती हैं।

- भारत में, जहाँ अनेक किसान सीमित पूँजी के साथ छोटी और सीमांत जोतों पर खेती करते हैं, वहाँ मशरूम की खेती एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती है, क्योंकि इसमें **कृषि अपशिष्ट** का उपयोग उगाने के माध्यम या ग्रोइंग मीडियम के रूप में किया जाता है तथा इसमें पारंपरिक कृषि गतिविधियों की तुलना में कम भूमि, पानी और वित्तीय निवेश की आवश्यकता होती है। यह संसाधनों के उपयोग, रोजगार सृजन, स्थिरता तथा पोषण सुरक्षा जैसी प्रमुख चिंताओं का समाधान करते हुए एक कृषि-व्यवसाय उद्यम के रूप में भी संभावनाएँ प्रदान करती है।

- रुथु ने प्रशिक्षण के दौरान अर्जित कौशलों का उपयोग करते हुए मिल्की मशरूम की खेती शुरू की और स्थानीय बाजार में इसकी नियमित आपूर्ति शुरु की। उनका उत्पादन बढ़कर **प्रतिदिन लगभग 8 किलोग्राम** तक पहुँच गया, जिससे उन्हें लगभग **35,000 रुपये** की मासिक आय होने लगी। उन्होंने यह भी सीखा कि मशरूम की खेती के दौरान रोगमुक्त स्वच्छ धान के पुआल और अच्छी गुणवत्ता वाले मशरूम स्पॉन या बीज का उपयोग करना तथा उचित तापमान और नमी का स्तर बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी सीख और अनुभवों से प्रेरित होकर, समुदाय के तीन से चार अन्य सदस्यों ने भी उनकी सलाह और सहयोग से छोटे स्तर पर मशरूम की खेती शुरू की।
- रुथु का अनुभव दर्शाता है कि लक्षित कौशल विकास को जब व्यावहारिक रूप से लागू किया जाता है, तो यह आजीविका के विविधीकरण और स्थानीय स्तर पर ज्ञान के आदान - प्रदान को बढ़ावा दे सकता है। अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई यह पहल आय सृजन का आधार बनी और इसने समुदाय के अन्य लोगों को भी आजीविका के विकल्प के रूप में मशरूम की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

महिला एक, आजीविका के अवसर अनेक: मशरूम ग्राम का निर्माण

- जब किसी व्यक्ति का उद्यम सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करता है, तो आजीविका से जुड़ी यह पहल व्यापक बदलाव ला सकती है। अनंतपुर गाँव में **मशरूम की खेती से लेकर सामुदायिक नेतृत्व तक की अनीता देवी की यात्रा** यह दर्शाती है कि स्थानीय स्तर पर आधारित आजीविका किस प्रकार ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन कर सकती है और समुदाय आधारित उद्यमों को सुदृढ़ बना सकती है। अनीता के लिए मशरूम की खेती की शुरुआत स्वतंत्र आय अर्जित करने की आकांक्षा के साथ हुई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और जी बी पंत विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रशिक्षण ने उनके ज्ञान को विकसित करने में मदद की, जबकि वर्ष 2010 में बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी उद्यमशीलता की यात्रा को सही दिशा प्रदान की। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलने पर, उन्होंने ऑयस्टर और मिल्की व्हाइट मशरूम की खेती शुरू की। ये किस्में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल थीं और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके इनकी खेती करना भी उपयुक्त था।



ऑयस्टर मशरूम बेड के साथ अनीता देवी

- उनकी इस पहल ने धीरे - धीरे अनंतपुर गाँव की अन्य महिलाओं को भी मशरूम की खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह गतिविधि आसपास के गाँवों तक फैल गई और वर्ष 2012 में राज्य के कृषि विभाग ने अनंतपुर को **'मशरूम ग्राम'** घोषित कर दिया। अनीता को ***'मशरूम महिला'*** के नाम से जाना जाने लगा, जो समुदाय में इस आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जैसे जैसे मशरूम की खेती का विस्तार हुआ, अच्छी गुणवत्ता वाले मशरूम स्पॉन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनकर उभरी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के सहयोग से, अनीता ने **15 लाख रुपये की सब्सिडी** से एक स्पॉन उत्पादन प्रयोगशाला स्थापित की, जिससे खेती के लिए आवश्यक इस महत्वपूर्ण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली। उन्होंने **माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड** की स्थापना करके सामूहिक उद्यम को और सशक्त बनाया। यह कंपनी मशरूम उत्पादकों और विक्रेताओं के साथ मिलकर काम करती है तथा महिलाओं को सरकारी योजनाओं और बाजारों से जुड़ने में सहायता प्रदान करती है।

- वर्ष 2023 तक, **जीविका स्वयं सहायता समूहों की 250 से अधिक महिलाएँ** नालंदा में मशरूम आधारित आजीविका गतिविधियों से जुड़ चुकी थीं। **बिहार के 'मशरूम ग्राम'** के रूप में अनंतपुर को मिली पहचान उस पहल को व्यापक सामुदायिक स्तर पर अपनाए जाने को दर्शाती है, जिसकी शुरुआत एक महिला की आर्थिक आत्मनिर्भरता पाने की तलाश से हुई थी। अनीता देवी की यात्रा यह दर्शाती है कि कौशल विकास, संस्थागत सहयोग, आवश्यक सामग्रियों तक पहुँच और सामूहिक उद्यम किस प्रकार एक दूसरे को सुदृढ़ करते हुए आजीविका के अवसरों का विस्तार कर सकते हैं।

जब एक इंजीनियर ने किया मशरूम उगाने का फैसला

- मशरूम की खेती पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर आजीविका के नए अवसर सृजित कर रही है। ऐसे पेशेवरों के लिए भी, जो कम भूमि में संचालित किए जा सकने वाले उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। **गुजरात के तापी की सिविल इंजीनियर अंजनाबेन गामित** ने इस अवसर के बारे में तब जाना, जब उन्होंने *एग्रो- संदेश* में प्रकाशित ऑयस्टर मशरूम की खेती से संबंधित केवीके, तापी का एक लेख पढ़ा। बड़े भू क्षेत्र के बिना मशरूम की खेती की संभावना को पहचानते हुए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, तापी का दौरा किया और *"मशरूम की खेती के माध्यम से उद्यमिता विकास"* विषय पर आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। केवीके के वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन से उन्होंने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वर्ष 2017 में ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की।



- मशरूम उत्पादन की उनकी पहली इकाई बाँस और हरे शेड के नेट से निर्मित **15 × 10 फुट के शेड** में स्थापित की गई थी। केवीके ने उन्हें मशरूम स्पॉन, पॉलीथीन बैग और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही साथ निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया। **ढाई महीने के भीतर**, उनकी पहली फसल से लगभग **140 किलोग्राम मशरूम** का उत्पादन हुआ, जिससे 11,000 रुपये की उत्पादन लागत के मुकाबले 28,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। इन परिणामों से प्रोत्साहित होकर, उन्होंने वर्ष 2019 में अपने मशरूम उत्पादन केंद्र का विस्तार किया और मशरूम हाउस का आकार बढ़ाकर 23 × 80 फुट कर दिया। इसके लिए उन्होंने 1.72 लाख रुपये का अतिरिक्त निवेश किया। उसी वर्ष अप्रैल से दिसंबर के बीच, उन्होंने **250 किलोग्राम स्पॉन** का उपयोग करके **1,234 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन** किया। इस फसल से उन्हें **3.09 लाख रुपये** की कुल आय हुई और उत्पादन लागत घटाने के बाद **2.20 लाख रुपये** का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ।



- उत्पादन का विस्तार करने के साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक पहुँच बनाने के लिए अंजनाबेन ने स्थानीय बाजारों से संपर्क कायम किया। उन्होंने मशरूम को **100–200 ग्राम के पैकेटों** में पैक किया और व्यारा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं तथा सब्जी विक्रेताओं के माध्यम से उनकी आपूर्ति की। टेलीफोन के जरिए बुकिंग की सुविधा से बिक्री को बढ़ावा मिला, जबकि जिले के ऑर्गेनिक बाजार ने उपभोक्ताओं को सीधे मशरूम बेचने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध कराया। अंजनाबेन का अनुभव दर्शाता है कि लक्षित प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग, सीमित बुनियादी ढाँचे और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विपणन रणनीतियों के माध्यम से मशरूम की खेती में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

25 बैग से मशरूम उद्यम तक

- उत्तराखंड में मशरूम की खेती का एक छोटा सा प्रयोग धीरे धीरे एक विविधीकृत उद्यम के रूप में विकसित हुआ, जिसका आर्थिक और सामुदायिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। **देहरादून के चरबा गाँव की आईटी पेशेवर हिरेशा वर्मा** ने वर्ष 2013 में एक **सर्वेंट क्वार्टर में मात्र 25 बैगों के साथ** ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू की। 2,000 रुपये के शुरुआती निवेश से उन्हें लगभग 5,000 रुपये का रिटर्न मिला। इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने मशरूम की खेती को एक उद्यमशील गतिविधि के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने देहरादून में मशरूम उत्पादन से जुड़ा उद्यम "हाँ एग्रोकेयर" (Han Agrocare) स्थापित किया।



- उनकी उद्यमशीलता की यात्रा को कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), देहरादून और आईसीएआर – मशरूम अनुसंधान निदेशालय (डीएमआर), सोलन से प्राप्त प्रशिक्षण से मजबूती मिली। इस प्रशिक्षण से उन्हें मशरूम की विभिन्न किस्मों और उनकी खेती की विधियों में विशेषज्ञता हासिल करने में मदद मिली। उन्होंने कम्पोस्ट और स्पॉन की उपलब्धता के लिए देहरादून स्थित मशरूम विभाग से भी संपर्क स्थापित किया तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए। एक पायलट पहल के रूप में, उन्होंने बाँस से बनी तीन मशरूम उत्पादन झोपड़ियाँ स्थापित कीं, जिनमें से प्रत्येक में **500 मशरूम बैग** रखने की क्षमता थी। इस पहल ने उनके उद्यम के विस्तार की नींव रखी।
- आज हाँ एग्रोकेयर की **मशरूम उत्पादन क्षमता लगभग एक टन प्रतिदिन** है और इसमें 15 लोग कार्यरत हैं। व्यावसायिक उत्पादन से आगे बढ़कर, हिरेशा ने अपने अनुभव का लाभ अन्य लोगों तक भी पहुँचाया है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में **2,000 से अधिक महिलाओं और किसानों** को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया है।
- प्रतिदिन केवल 20 किलोग्राम के मौसमी उत्पादन से शुरुआत करते हुए, उन्होंने एक सफल उद्यम स्थापित किया है, जहाँ अब वर्षभर मशरूम का उत्पादन होता है। उनकी उत्पादन इकाई में 10 वातानुकूलित कमरे और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एक संयंत्र है, जिसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1,000 किलोग्राम है।
- उनके उद्यम का विस्तार शिटाके और गैनोडर्मा जैसे विशेष प्रकार के मशरूम की खेती तक भी हुआ है। इसके साथ ही, उन्होंने अचार, कुकीज़, नगेट्स, सूप, प्रोटीन पाउडर, चाय और पापड़ जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का भी उत्पादन शुरू किया है। उनका योगदान केवल उत्पादन और उत्पादों के विविधीकरण तक ही सीमित नहीं है। टिहरी, पौड़ी और गढ़वाल के मशरूम उत्पादकों को तकनीकी सहायता प्रदान करके उन्होंने अन्य किसानों को भी आजीविका के विकल्प के रूप में मशरूम की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

जब पहाड़ियों पर उगने लगे मशरूम

- बागेश्वर के उदेरखानी गाँव में आयोजित किसानों की एक बैठक में **मदन मोहन** को कुछ नया करने का अवसर दिखाई दिया। उन्होंने संरक्षित सब्जी और मशरूम की खेती में रुचि दिखाई, हालाँकि उन्हें इन दोनों ही क्षेत्रों में पहले से कोई अनुभव नहीं था।



- वर्ष 2020–21 के दौरान अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत आईसीएआर-डीएमआर, अल्मोड़ा द्वारा गाँव में किए जा रहे कार्यों के माध्यम से यह अवसर सामने आया। यद्यपि मदन मोहन मशरूम की खेती शुरू करने के इच्छुक थे, लेकिन सीमित आर्थिक संसाधनों के कारण उनके लिए इसकी शुरुआत करना कठिन था। कार्यक्रम के सहयोग से इस बाधा को दूर करने में मदद मिली। वर्ष 2022 में उनके खेत में एक पोर्टेबल पॉलीहाउस स्थापित किया गया और मशरूम की खेती के लिए पाँच क्विंटल पाश्चुरीकृत कम्पोस्ट उपलब्ध कराई गई। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले स्थित कृषि विज्ञान केंद्र, काफलीगैर ने उन्हें प्रशिक्षण और निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे वे संस्थागत सहयोग के साथ मशरूम की खेती शुरू कर सके।

- **पोर्टेबल पॉलीहाउस कम लागत वाली, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकने वाली संरक्षित खेती की संरचना** है, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों और छोटे एवं सीमांत किसानों की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

- अनुशंसित खेती पद्धतियों को अपनाने और कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने से मदन मोहन ने एक क्विंटल बिक्री योग्य बटन मशरूम का उत्पादन किया। 62.4 वर्ग मीटर के पॉलीहाउस से उन्हें टमाटर, शिमला मिर्च, पत्तागोभी, फूलगोभी और फ्रेंच बीन्स सहित **7.5 क्विंटल** सब्जियों का उत्पादन भी प्राप्त हुआ। ऑफ-सीजन के दौरान कटाई से उन्हें बाजार में अतिरिक्त लाभ मिला, क्योंकि उस समय हल्द्वानी मंडी से स्थानीय खुदरा विक्रेताओं को सब्जियों की सीमित आपूर्ति हो रही थी। मशरूम और सब्जियों की संयुक्त खेती से उन्हें **41,250 रुपये** की आय हुई, जो उनकी पहले की कृषि आय से लगभग दोगुनी थी। उनकी इस प्रगति ने अन्य किसानों को भी आजीविका के ऐसे ही अवसरों को तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके प्रयासों को आईसीएआर-डीएमआर, अल्मोड़ा के किसान मेले में सम्मानित करके मान्यता भी प्रदान की गई।

- ये अनुभव दर्शाते हैं कि मशरूम की खेती केवल कृषि की एक अतिरिक्त गतिविधि तक सीमित न रहकर आजीविका के विविधीकरण और उद्यमिता का एक प्रभावी माध्यम बन सकती है। उपयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और उत्पादन संबंधी बुनियादी ढाँचे का सहयोग मिलने पर यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने के नए अवसर सृजित करते हुए सीमित भूमि और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में भी उनकी मदद कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) के लिए प्रश्न

- **प्रश्न: मशरूम की खेती और उसके लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. मशरूम में कैलोरी, वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है।
2. ये प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन और खनिजों के अच्छे स्रोत माने जाते हैं।
3. मशरूम की खेती के लिए बड़े पैमाने पर उपजाऊ कृषि भूमि की अनिवार्यता होती है, अतः इसे शहरी क्षेत्रों में नहीं उगाया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए प्रश्न

- **प्रश्न:** "बागवानी क्षेत्र में मशरूम की बढ़ती खेती न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है, बल्कि यह पोषण सुरक्षा और ग्रामीण-शहरी आजीविका विविधीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।" इस कथन का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

महत्वपूर्ण तथ्य

Without rationale

India's federal structure could have benefited from the Kurian Committee

By abruptly disbanding the Justice Kurian Joseph Committee on Union-State Relations and handing over its task to the Tamil Nadu State Law Commission, the C. Joseph Vijay government appears to have succumbed to the political impulse to reverse earlier decisions rather than being guided by any compelling rationale or necessity. This gains credence from the very grounds cited. The committee executed its mandate with scholarly rigour, seen in Part I of its report that was submitted to the then M.K. Stalin government in February. Citing the Committee's basic character of being a "non-statutory body" is unconvincing, particularly when the Law Commission itself is established only through "executive order". There is also no public evidence of State Law Commissions having examined or addressed issues concerning Union-State relations. The mandate "to suggest ways and means for the inter-State relations and Centre-State relations", constitutes only one part of the broader terms of reference of the State Law Commission, reconstituted in August. Given the commission's wider responsibilities, successive State governments had constituted high-level committees to examine conflicts involving Concurrent List subjects and recommend specific remedies. It is through such recommendations that Tamil Nadu enacted certain pieces of legislation to overcome limitations imposed by central laws, including the provision of horizontal reservation in professional course admissions for disadvantaged students. Therefore, the State's other argument of "similarity or overlap" in the "nature and scope of the functions" entrusted to the Committee and the Commission, does not withstand close scrutiny.

In September, Leader of the Opposition Udhayanidhi Stalin, had flagged an attempt to "paralyse" the Committee's functioning. A fair assessment of the Committee's Part I Report reveals the breadth and depth of its dispassionate examination of issues, including State autonomy, delimitation, and the office of the Governor. Parties, barring the BJP, had largely welcomed the report. Interestingly, its contents are not even remotely at odds with the broad public ideological positioning of Mr. Vijay's Tamilaga Vettri Kazhagam on State rights. Besides, Prof. M. Naganathan, the Committee's only member with an overt political association, had already resigned. The government would do well to rethink and allow it to complete its work. This would strengthen the political endeavour towards evolving a more balanced federal governance structure, facilitating harmonious Centre-State relations.

YouTube Homework

- Center state Relation

महत्वपूर्ण तथ्य

- जस्टिस कुरियन जोसेफ समिति (Justice Kurian Joseph Committee) केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों की स्वायत्तता की समीक्षा के लिए गठित की गई एक बेहद महत्वपूर्ण और उच्च स्तरीय समिति है। इस समिति से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है:

1. बुनियादी जानकारी (गठन, निर्माता और संरचना)

- किसने बनाई: इस समिति का गठन तमिलनाडु सरकार (तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली DMK सरकार) द्वारा किया गया था।
- कब बनी: इसका गठन अप्रैल 2025 में किया गया था। (फरवरी 2026 में समिति ने अपनी रिपोर्ट का पहला भाग विधानसभा में पेश किया था, लेकिन नवंबर 2026 में राज्य की नई सरकार द्वारा इस समिति को भंग कर दिया गया है)।
- कितने अध्यक्ष थे: समिति में 1 अध्यक्ष थे—जस्टिस कुरियन जोसेफ (सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)।
- कितने सदस्य थे: इसमें अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य थे (यानी यह कुल 3 सदस्यीय समिति थी):
- के. अशोक वर्धन शेट्टी (सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व कुलपति)।
- डॉ. एम. नागनाथन (अर्थशास्त्री और तमिलनाडु योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष)।

2. समिति की प्रमुख सिफारिशें (Recommendations)

- इस समिति ने अपनी रिपोर्ट (Part-1) में "क्रीपिंग सेंट्रलाइजेशन" (केंद्र द्वारा धीरे-धीरे शक्तियों को अपने हाथ में लेना) पर चिंता जताई और भारतीय संघवाद में एक 'स्ट्रक्चरल रीसेट' की वकालत की। प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
- राज्यपाल (Governor) के पद में सुधार: राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा के बिलों को लंबे समय तक रोकने पर अंकुश लगाने के लिए 15 दिनों की समय सीमा (Deadline) तय करने की सिफारिश की। साथ ही सुझाव दिया कि राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर (कुलाधिपति) के पद से हटा देना चाहिए।
- संविधान संशोधन प्रक्रिया (Article 368) को कठिन बनाना: संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई (2/3) बहुमत और कम से कम दो-तिहाई राज्यों की मंजूरी अनिवार्य की जानी चाहिए। राज्यों को भी संविधान संशोधन शुरू करने का अधिकार मिलना चाहिए।
- राज्य की सीमाओं में बदलाव (Article 3): केंद्र सरकार संसद में साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा नहीं बदल सकती या उसे केंद्रशासित प्रदेश नहीं बना सकती; इसके लिए संबंधित राज्य की स्पष्ट सहमति जरूरी होनी चाहिए।
- शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाना: शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों को समवर्ती सूची (Concurrent List) से हटाकर पूरी तरह से राज्य सूची (State List) में वापस डाला जाना चाहिए (ताकि NEET जैसी परीक्षाओं के केंद्रीय हस्तक्षेप से राहत मिल सके)।
- वित्तीय स्वायत्तता (GST सुधार): जीएसटी व्यवस्था में राज्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए राज्यों को SGST दरों में ±2% तक बदलाव करने की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही जीएसटी परिषद (GST Council) के अध्यक्ष का पद हर साल केंद्रीय और राज्य के वित्त मंत्रियों के बीच रोटेट होना चाहिए।
- भाषा नीति: केंद्र की आधिकारिक कार्यों में केवल एक भाषा थोपने के बजाय द्विभाषी नीति (Bilingual policy - अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) का उपयोग होना चाहिए। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation One Election) के प्रस्ताव का समिति ने विरोध किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. केंद्र-राज्य संबंधों पर अन्य प्रमुख समितियां (Other Committees List)

- भारत में समय-समय पर केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए कई आयोग और समितियां बनाई गई हैं। उनकी सूची नीचे दी गई है:
- **प्रशासनिक सुधार आयोग / एम.सी. सीतलवाड़ समिति (1966):** केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित पहला प्रशासनिक सुधार आयोग।
- **राजमन्नार समिति (1969):** तमिलनाडु सरकार (एम. करुणानिधि के नेतृत्व में) द्वारा गठित की गई स्वायत्तता से जुड़ी बेहद चर्चित समिति।
- **आनंदपुर साहिब प्रस्ताव (1973):** पंजाब के अकाली दल द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों को अत्यधिक स्वायत्तता देने के लिए लाया गया एक प्रस्ताव।
- **पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र / मेमोरेंडम (1977):** पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार द्वारा केंद्र-राज्य संबंधों को पुनर्गठित करने की मांग।
- **सरकारिया आयोग (1983):** केंद्र सरकार (इंदिरा गांधी) द्वारा गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट में इंटर-स्टेट काउंसिल (अंतर-राज्य परिषद) को मजबूत करने की बात कही थी।
- **राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग / वेंकटचलैया आयोग (2000):** अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा संविधान के कामकाज और केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित।
- **पुंछी आयोग (2007):** केंद्र सरकार (मनमोहन सिंह सरकार) द्वारा मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित, जिसने राज्यपालों के कार्यकाल और शक्तियों को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थीं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Caste and class

Exclusion of creamy layer is essential, but must be done consistently

If public resources are to dismantle both caste hierarchy and class inequality, OBC reservation should resist the notion that caste disadvantage makes economic differences among OBC families irrelevant. The 'creamy layer' rules are responsible for identifying those OBC members who have advanced sufficiently to no longer require affirmative action. However, the government has implemented them inconsistently. The Supreme Court in March corrected one inconsistency, that the government cannot hold the salary alone of an OBC candidate's parent as evidence of social advancement. In *Indra Sawhney* (1992), the Court upheld the government's 27% reservation for OBC candidates in central government services if it also excluded economically advanced sections, i.e., the creamy layer, among OBCs. Following the equivalence requirement issued in 1993, the Department of Personnel & Training (DoPT) issued a "clarification" in 2004 that the government used, from around 2015, to deny dozens of OBC candidates who had cleared the Civil Services Examination their benefits because their parents' salaries exceeded the official threshold due to pay revisions that did not always reflect changes in occupational status. The Cabinet also approved equivalence guidelines in 2017 but a parliamentary committee criticised it over a number of issues.

In *Rohith Nathan* (2026), the Court rightly rejected the government's use of the 2004 "clarification" to arbitrarily exclude OBC candidates based on their parents' salaries alone. However, the government stalled service allocations following the 2025 examination and appealed that retrospectively applying the ruling would create administrative chaos. On November 6, the Court conceded that it had not asked the government to reopen completed selections, as it could set workers against one another while leaving government misapplication unaddressed. A proactive policy is essential now as the government must create supernumerary posts for legitimate claimants and apply the 1993 rules to pending allocations without vouchsafing these remedies for only those who can afford litigation. Access to public employment continues to be grossly unequal: per the 2024-25 DoPT Annual Report, OBC representation in central government employment was 26.3% but declined steadily towards higher positions. As the Justice G. Rohini Commission also indicated, the benefits of reservation are distributed unevenly among OBC communities. However, the report, submitted in 2023, is still not in the public domain. The coming Census includes caste enumeration but policymakers also need data on each caste's education, occupations, assets, and landholdings. Defending redistribution among caste groups while ignoring major inequalities within them, and constraining OBC reservation assuming relatively more high-income families capture the benefits without first establishing the extent and the causes are equally difficult to justify.

YouTube Homework

- **Reservation**

महत्वपूर्ण तथ्य

- ओबीसी (OBC) क्रीमी लेयर मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की आरक्षण व्यवस्था की एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाता है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें इसके ताजा फैसले (2026) और 1992 से शुरू हुई इसकी ऐतिहासिक कहानी दोनों को विस्तार से समझना होगा।

1. कहानी की शुरुआत: मंडल कमीशन और इंद्रा साहनी केस (1990-1993)

- मंडल आयोग की सिफारिशें: साल 1990 में तत्कालीन वी.पी. सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला किया। इसके बाद देश भर में काफी विरोध प्रदर्शन और कानूनी बहस छिड़ गई।
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992): इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला (इंद्रा साहनी केस) सुनाया। कोर्ट ने 27% OBC आरक्षण को वैध माना, लेकिन साथ ही 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) का सिद्धांत भी पेश किया। कोर्ट का कहना था कि OBC समाज के जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि इसका फायदा असली हकदारों तक पहुँचे।
- 1993 का नियम (DoPT Office Memorandum): इंद्रा साहनी फैसले के बाद, सरकार ने राम नंदन प्रसाद समिति की सिफारिशों के आधार पर 8 सितंबर 1993 को एक ऑफिस मेमोरेंडम (नियम) जारी किया। इसमें तय किया गया कि क्रीमी लेयर की पहचान कैसे होगी:
- इसमें माता-पिता के संवैधानिक पद और नौकरी के स्तर (जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी) को आधार बनाया गया।
- इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जब सालाना आय की सीमा (जो वर्तमान में ₹8 लाख है) की गणना की जाएगी, तो उसमें माता-पिता के वेतन (सैलरी) और कृषि (खेती) से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

2. विवाद का कारण: साल 2004 का सरकारी पत्र

- कहानी में असली मोड़ साल 2004 में आया। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एक स्पष्टीकरण पत्र जारी किया। इस नए पत्र में सरकार ने नियम बदल दिया और कहा कि:
- जो लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (PSU जैसे- ONGC, SAIL आदि), बैंकों या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और जिनके पदों की तुलना सरकारी ग्रुप ए या बी से करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बना है, उनकी क्रीमी लेयर स्थिति तय करने के लिए माता-पिता की वास्तविक सैलरी (वेतन) को जोड़कर देखा जाएगा।
- इस पत्र के बाद, अगर किसी साधारण कर्मचारी (जैसे ग्रुप सी या डी स्तर के समतुल्य) की सैलरी भी ₹8 लाख से ऊपर हो जाती थी, तो उसके बच्चों को 'क्रीमी लेयर' मानकर आरक्षण से बाहर कर दिया जाता था।

3. छात्रों का लंबा संघर्ष

- इस 2004 के नियम के कारण उन उम्मीदवारों के साथ भारी भेदभाव होने लगा जिनके माता-पिता PSU या प्राइवेट कंपनियों में छोटे पदों पर थे। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को तो सैलरी छूट का फायदा मिलता रहा, लेकिन PSU और प्राइवेट सेक्टर वालों के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र सिर्फ सैलरी के आधार पर खारिज होने लगे। लगभग 22 सालों तक छात्रों ने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) और फिर हाई कोर्ट ने सरकार के इस 2004 के नियम को अवैध बताकर रद्द कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

4. सुप्रीम कोर्ट का फैसला (11 मार्च, 2026)

- सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ) ने 'भारत संघ बनाम रोहित नाथन' मामले में केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि:
- सैलरी एकमात्र पैमाना नहीं: किसी भी OBC उम्मीदवार की क्रीमी लेयर स्थिति केवल उसके माता-पिता की सैलरी (आय) के आधार पर तय नहीं की जा सकती।
- पद और सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण: क्रीमी लेयर तय करने के लिए माता-पिता का पद और उनकी सामाजिक स्थिति (Occupational Status) ही मुख्य आधार होना चाहिए, जैसा कि 1993 के मूल नियम में तय था।
- भेदभावपूर्ण नीति का अंत: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का मकसद सिर्फ गरीबी हटाना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना है। इसलिए, केवल सैलरी को आधार बनाकर मध्यमवर्गीय वेतनभोगी परिवारों के बच्चों को आरक्षण से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

महत्वपूर्ण तथ्य

5. केंद्र सरकार की अर्जी और सुप्रीम कोर्ट का हालिया स्पष्टीकरण (नवंबर 2026)

- मार्च के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक स्पष्टीकरण याचिका दायर की। सरकार का तर्क था कि इस फैसले को अचानक लागू करने से प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जाएगी और पिछली नियुक्तियों पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें पदों की समतुल्यता (Equivalence of posts) तय करने के लिए 2 साल का समय दिया जाए और UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 व 2026 के लिए छूट दी जाए।
- 6 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना अंतिम और मास्टरस्ट्रोक आदेश सुनाया:
- पुरानी भर्तियां सुरक्षित: कोर्ट ने साफ किया कि जो नियुक्तियां, चयन प्रक्रिया और प्रमोशन पहले ही पूरी तरह संपन्न हो चुके हैं, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।
- UPSC CSE 2025 पर तुरंत लागू: कोर्ट ने सरकार को कोई ढील देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के परिणाम भले ही घोषित हो चुके थे लेकिन सेवा आवंटन (Service Allocation) अभी अंतिम रूप में नहीं हुआ था, इसलिए यह फैसला CSE 2025 के सेवा आवंटन पर पूरी तरह लागू होगा।
- उम्मीदवारों को बड़ी राहत: इस आदेश से उन दर्जनों OBC उम्मीदवारों के लिए रास्ता साफ हो गया है जिनके सर्टिफिकेट केवल माता-पिता की सैलरी के आधार पर खारिज कर दिए गए थे। कोर्ट ने सरकार को इस फैसले का पूरी तरह पालन करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

India's efforts to clean its air need not slow its economic growth

The best interventions must address air pollution while supporting development priorities; cleaner industrial processes may reduce emissions while improving efficiency; clean cooking can reduce household smoke; better waste management can reduce open burning, improving urban services

Ajay Singh Nagpure

India ranked 176 out of 177 countries in the 2026 Environmental Performance Index (EPI), published by the Yale and Columbia Universities in the U.S. The index assesses 47 indicators across 12 categories. Of them, India performed the worst on air quality, where it ranked 175, yet it did considerably better on air pollution, ranking 88.

This contrast is illustrative because only the latter matters for India's health burden. The State of Global Air 2025 report estimated that more than 20 lakh deaths in India in 2023 could be attributed to air pollution.

Many activities that contribute to air pollution are also central to India's development. Industries create jobs, power plants supply electricity, transport moves people and goods, and agriculture supports livelihoods and feeds the population. So cutting emissions from these sources involves choices about technology, investment, affordability, and the ability to implement change.



A man sweeps near the India Gate in New Delhi that was shrouded in thick smog on Monday. Many activities that contribute to air pollution are also key to India's development and cutting emissions from these sources involves choices about affordability and the ability to implement change. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

THE GIST

For India, the first question is whether pollution can reduce fast enough while the economy continues to grow

India is already adding renewable power, electric vehicles, cleaner cooking fuels, and pollution-control programmes

China, which began strengthening industrial emissions controls while its economy was still expanding rapidly, offers a useful example on whether mitigation can keep pace as economic activity expands

China's institutions, economy, and energy systems differ from India's, so India cannot simply copy its approach

Nevertheless, China's experience shows that bringing pollution under control does not have to wait until economic growth is complete

The Chinese example

China offers a useful example on whether mitigation can keep pace as economic activity expands. It began strengthening industrial emissions controls while its economy was still expanding rapidly. Between 2005 and 2010, sulphur dioxide (SO_2) emissions dropped 14% as a result. China later introduced a broader clean-air campaign that yielded substantial drops in fine-particle pollution. Research in Beijing attributed most of the PM2.5 decline during 2013-2017 to emission controls rather than weather alone.

China's institutions, economy, and energy systems differ from India's, so India cannot simply copy its approach. Nevertheless, its experience shows that bringing pollution under control does not have to wait until economic growth is complete.

For India, the first question is therefore whether pollution can reduce fast enough while the economy continues to grow. India is already adding renewable power, electric vehicles, cleaner cooking fuels, and pollution-control programmes.

Judging progress

The International Energy Agency expects India's electricity demand to grow by 6.4% a year on average through 2030, with industry accounting for roughly a third of the additional demand. Solar power is expected to meet around half of that growth, while coal supplies about one-quarter.

While these projections do not say whether air pollution will rise or fall, they indicate why the number of cleaner technologies introduced is not enough to judge progress. What matters is whether their combined effect is large enough to offset the growth in emissive activities.

The difficulty of balancing these objectives is visible in the thermal power sector. In July 2025, the Union government revised SO_2 requirements for coal- and lignite-fired power plants. Mandatory standards were retained for one category of plants, another category became subject to case-by-case assessments, and a third received exemptions subject to conditions.

The government cited issues such as technical feasibility, electricity prices, water and auxiliary-power requirements, limestone consumption, and associated carbon emissions. These are legitimate considerations in infrastructure policy. However, SO_2 also contributes to secondary, fine-particle pollution. This example captures a larger dilemma: the immediate cost of pollution control is visible and concentrated while some of its health and environmental benefits are distributed across a wider population and may emerge over time. Yet both need to inform decision-making.

India has nevertheless made progress. Official figures show that 108 of the 130 cities covered by the National Clean Air Programme (NCAP) recorded lower annual PM10 concentrations in 2025-26 than in 2017-18. This does not necessarily indicate a similar trend in PM2.5 — nor can an observed decline in pollution after a policy is introduced be attributed to that policy alone. Some confounding factors include the weather and changes in emission profiles.

Between 2019-20 and 2025-26, the government provided ₹16,423.55 crore in performance-linked funds to 130 NCAP cities for air pollution control. National programmes such as the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, PM E-DRIVE, PM Surya Ghar, and solid-waste management initiatives can also provide benefits by nudging household fuel use, transport emissions, electricity generation, and waste-burning. But cleaner air is not their only objective, and the programmes cover different periods and financial arrangements. Put another way, what matters for policymakers should be the connection between investment and outcome: how much pollution a measure is expected to prevent, how much exposure it actually reduces, what it costs and whether the benefits justify those resources. Without that connection, a larger budget may indicate greater activity without necessarily showing that mitigation is keeping pace with the problem.

Practical questions

That brings the discussion to the question: how does scientific knowledge become action in real economic and social conditions? For instance, giving a household access to LPG creates an opportunity to reduce smoke from traditional fuels, but access does not guarantee sustained use. Fuel prices, household income, and the availability of alternatives influence what families actually use. And just being aware of the health risk alone does not remove these constraints.

So the strongest interventions may be those that address air pollution while also supporting other development priorities. Cleaner industrial processes may reduce emissions while improving energy efficiency. Reliable clean cooking can reduce household smoke while improving convenience and health. Better waste management can reduce open burning while improving urban services. Such co-benefits should be demonstrated explicitly.

That approach also changes how success should be judged. Instead of asking only whether a new programme has been launched, a technology installed or funds allocated, each new intervention needs to be examined with practical questions: what pollution is it expected to reduce, what will it cost, who can realistically implement it, what other benefits or burdens will it create, and did exposure actually decline afterwards?

Such an approach will not eliminate the political and economic choices involved in pollution control but it will make those choices more transparent and give decision-makers a clearer basis for expanding measures that work.

(Ajay Singh Nagpure is an environmental systems scientist at the World Emissions Network. an3173@princeton.edu)

YouTube Homework

- GRAP
- CBCP
- DPCC
- PM 2.5
- PM 10

महत्वपूर्ण तथ्य

- **मुख्य विचार:** भारत के वायु प्रदूषण को साफ करने के प्रयास आर्थिक विकास को धीमा किए बिना सफल हो सकते हैं।
- **विकास बनाम प्रदूषण:** कई उद्योग और ऊर्जा स्रोत (जैसे बिजली संयंत्र और परिवहन) भारत के विकास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण भी बढ़ता है। इसलिए, उत्सर्जन को कम करने के लिए तकनीक, निवेश और सामर्थ्य के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।
- **चीन का उदाहरण:** चीन का अनुभव यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था के तेजी से विस्तार के दौरान भी औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण रखकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है, हालांकि भारत को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार ही कदम उठाने होंगे।
- **भारत के प्रयास:** भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत कई कदम उठाए हैं, जिससे कई शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार भी देखा गया है।
- **निष्कर्ष:** सबसे प्रभावी उपाय वे हैं जो विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करते हुए वायु प्रदूषण से निपटें। स्वच्छ ईंधन, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और हरित औद्योगिक प्रक्रियाएं आर्थिक दक्षता में सुधार के साथ-साथ प्रदूषण को कम कर सकती हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Opposition builds over third mega dam project in Arunachal Pradesh

The Hindu Bureau
GUWAHATI

Communities living downstream of a hydropower project on the Dibang river have stepped up the heat on the governments of Assam and Arunachal Pradesh, with the latter already burning due to opposition to two other proposed mega dams.

The 2,880-megawatt Dibang Multipurpose Project on the Dibang river, one of three that form the Brahmaputra in adjoining Assam, is located in Arunachal Pradesh's Lower Dibang Valley. Developed by NHPC Limited at an estimated cost of ₹31,875 crore, the project had been hanging fire until a renewed push for its completion commenced in March 2024.



The under-construction 2,880 MW Dibang Multipurpose Project on Dibang river is located in Lower Dibang Valley district. FILE PHOTO

10-day deadline

An alliance representing downstream communities in Arunachal Pradesh and Assam on Monday set a 10-day deadline for the two State governments to fulfil their demands.

These include rehabilitation, flood protection and other safeguards linked to the mega dam, scheduled to be commissioned by February 2032.

Seeking immediate intervention by both governments, the Dibang Dam Assam-Arunachal Downstream Action Alliance wants Project Affected Family status for each family living downstream of the dam.

The alliance also demanded public hearings in Assam, specifically in Dibrugarh and Tinsukia districts, and construction of guide walls, embankments and protection walls from the dam site along the Dibang river.

It cited an August 2024 communication from the Arunachal Pradesh government to underline its demand for the downstream protection measures.

The alliance said the government should fulfil the demands before it commissions the project. "The demands are justified as Assam is exposed to downstream flooding and potential dam-break risks. Assam's territory is also used to transport construction materials and machinery to the project site," an alliance spokesperson said.

The alliance threatened to block the movement of construction material, tools, machinery and plant equipment to the Dibang dam site if its demands are ignored. At 278 metres, this dam is set to become India's tallest.

Meanwhile, people in the Mepsoro area of Arunachal Pradesh's Papum Pare district have opposed a proposal to establish an Indian Army field ammunition depot on 1,200 acres of land. A joint land survey, involving the district authorities, Army officials, police and local leaders, scheduled for Tuesday, triggered the protest.

Officials said efforts to resolve local issues were ongoing.

महत्वपूर्ण तथ्य

- अरुणाचल प्रदेश में इस समय बांध (Dams) परियोजनाओं को लेकर चल रहे सभी प्रमुख विवाद
- राज्य में इन परियोजनाओं को लेकर स्थानीय आदिवासियों, प्रभावित परिवारों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का विरोध काफी उग्र हो चुका है। हाल ही में इस मुद्दे पर कई क्षेत्रों में बंद भी आयोजित किए गए हैं।

1. मेंगा बांध (Menga Dam) — सबसे ताजा विवाद

- परियोजना का नाम: अपर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना (Subansiri Upper Hydroelectric Project - SUHEP)
- नदी: सुबनसिरी नदी (यह अपर सुबनसिरी जिले के मेंगा क्षेत्र में स्थित है)।
- क्षमता: 1,605 मेगावाट (MW)
- टकराव और विवाद का कारण:
- साइट शिफ्ट करने की मांग: स्थानीय प्रभावित लोगों के संगठनों की मुख्य मांग है कि इस बांध को मेंगा गांव से हटाकर 'लिबेरी-लीगी' (Liberi-Ligi) के निर्जन या बिना आबादी वाले इलाके में शिफ्ट किया जाए।
- डैपोरिजो शहर को डूबने का खतरा: मेंगा गांव जिला मुख्यालय डैपोरिजो से केवल 20 किलोमीटर ऊपर (अपस्ट्रीम) स्थित है। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों को डर है कि यदि कभी बांध टूटा, या पहाड़ी धंसने या ग्लेशियर पिघलने से अचानक बाढ़ आई, तो पूरा डैपोरिजो शहर कुछ ही मिनटों में जलमग्न हो जाएगा।
- फर्जी सर्वे के आरोप: स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांध के लिए किए गए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) सर्वे में कम से कम 8 प्रभावित गांवों को छोड़ दिया गया और प्रभावित परिवारों की सूची पारदर्शी नहीं है। इसके विरोध में स्थानीय जनता लगातार सड़कों पर है।

2. सुबनसिरी नदी पर अन्य परियोजनाएं (Subansiri River Projects)

- सुबनसिरी नदी काफी बड़ी है, इसलिए इस पर अलग-अलग चरणों में बांध बनाए जा रहे हैं:
- सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट (Subansiri Lower - 2,000 MW): यह बांध अरुणाचल और असम की सीमा पर स्थित है और इसका निर्माण अंतिम चरण में है। इसका मुख्य टकराव डाउनस्ट्रीम (नदी के निचले हिस्से में रहने वाले) लोगों के साथ है। असम और निचले अरुणाचल के लोगों को डर है कि इस विशाल बांध के कारण उनके इलाकों का प्राकृतिक चक्र नष्ट हो जाएगा और अचानक पानी छोड़े जाने पर विनाशकारी बाढ़ आएगी। इसके अलावा निर्माण के दौरान हुए भूस्खलन (Landslides) ने भी सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

3. दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना (Dibang Multipurpose Project) — नया अल्टीमेटम

- नदी: दिबांग नदी (लोअर दिबांग घाटी जिला)
- क्षमता: 2,880 मेगावाट (MW)
- टकराव और विवाद का कारण:
- अल्टीमेटम और आंदोलन: दिबांग नदी के निचले इलाकों (डाउनस्ट्रीम) में रहने वाले अरुणाचल और असम के स्थानीय समुदायों ने एक संयुक्त गठबंधन (Downstream Action Alliance) बनाकर सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है।
- पुनर्वास और मुआवजे की मांग: प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बांध के निचले हिस्से में रहने वाले हर एक परिवार को 'प्रोजेक्ट प्रभावित परिवार' का आधिकारिक दर्जा दिया जाए। उन्हें डर है कि बांध बनने के बाद नीचे के इलाकों में पानी की भारी कमी या अचानक बाढ़ का संकट पैदा होगा, जिसके लिए सरकार ने कोई ठोस सुरक्षा उपाय या पुनर्वास नीति तय नहीं की है।

4. सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (Siang Upper Multipurpose Project)

- नदी: सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी का मुख्य हिस्सा)
- क्षमता: 11,200 मेगावाट (MW)
- टकराव और विवाद का कारण:
- अस्तित्व की लड़ाई: यह भारत का सबसे बड़ा प्रस्तावित बांध है। स्थानीय 'आदि' (Adi) जनजाति के लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसके जलाशय में दर्जनों ऐतिहासिक आदिवासी गांव और उनकी खेती की जमीन पूरी तरह डूब जाएगी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि स्थानीय लोग शुरुआती जांच और सर्वे के लिए आने वाली सरकारी टीमों को अपने क्षेत्रों में घुसने भी नहीं दे रहे हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

Strategic autonomy must guide India's Starlink policy



Ashwin Prasad Rao

Staff Research Analyst with the Advanced Military Technologies and Outer Space Programme at the Takshashila Institution

India must balance Starlink's benefits with national security and strategic autonomy

Recently, Elon Musk unleashed a volley of social media posts, accusing Indian "oligarchs" of impeding Starlink's entry into India. The government rejected the accusation and clarified that all satellite operators must go through the same regulatory process. The ensuing public debate has centred on Mr. Musk, Mukesh Ambani, protectionism and telecom competition. All this obscures important questions of how much control India will have over Starlink once it operates here.

In its current form, Starlink is unlikely to replace fibre and mobile networks because they have almost opposite strengths. Fibre and mobile networks take time and money to set up, but can serve many people in one area. Starlink reaches remote places without towers or cables but is limited by how many users it can serve in one region. While fibre and mobile networks are optimised for density, Starlink is optimised for reach. Starlink has previously stopped taking new residential customers in areas where it ran out of capacity.

Starlink is well-suited for isolated settlements, border regions, ships, and disaster affected areas. Governments and the military require reliable connectivity in such areas. Starlink can connect soldiers, drones, sensors and command centres without traditional connectivity. Therefore, its operation in India goes beyond retail customer choices and has national security implications.

The risks for India

India has very limited control over Starlink. The network could remain usable in an area where Indian authorities have ordered it switched off. Conversely, it could be disabled when India needs it most. India can licence and penalise Starlink, but SpaceX retains direct control over its satellites, software and terminal access.

The government has recognised these risks and imposed stringent security requirements on satellite Internet providers. Operators must route Indian user traffic through ground stations, called gateways, located in India. They cannot use inter-satellite links to bypass Indian gateways or route Indian traffic through gateways abroad. They must also provide monitoring facilities to Indian security agencies and restrict connectivity when authorities issue security-related orders. Starlink has indicated willingness to comply. It announced Indian gateway sites and introduced India-specific data controls.

Some of these conditions are difficult to enforce independently. Indian authorities can inspect domestic gateways, but verifying whether Indian traffic has been routed through foreign gateways or mirrored abroad through satellite links is more difficult and depends partly on information provided by SpaceX.

There is also a trade-off. Starlink's advantage is that its satellites can pass traffic between themselves when a ground station is unavailable. If Indian gateways fail, however, these restrictions prevent Starlink from rerouting Indian traffic through gateways abroad, reducing one source of redundancy.

Global experiences

Iran's experience is also a valuable demonstration of the enforcement problem. Since 2023, Iran has complained to the International Telecommunication Union (ITU) about Starlink terminals illegally operating on its soil without authorisation. The ITU's Radio Regulations Board has repeatedly called for Starlink transmissions to be stopped over Iran.

At its October 2026 meeting, the Board again noted that unauthorised Starlink transmissions in Iran were continuing. It reiterated its earlier decisions calling for the transmissions to stop and its conclusion that it lacked the authority to suspend the relevant satellite frequency assignments.

Ukraine provides an interesting contrast. In February, Ukrainian authorities worked with SpaceX to identify authorised Starlink terminals and block those used by Russian forces. In Ukraine, SpaceX acted on the government's requests. In Iran, years of appeals have failed to achieve the same result.

Conversely, on October 14, Ukrainian officials reported that Starshield, the military service built on Starlink technology, began losing connectivity on terminals travelling faster than about 160 km/h, disrupting drone missions and frontline logistics. Zelenskyy said the restrictions applied in Ukraine but not in EU countries. Ukraine said normal service was restored on October 24. The reason and responsibility remain contested. Reuters reported, citing officials, that an order came from within the White House, although Trump denied personally issuing it. The disruption coincided with Washington's pressure on Ukraine to stop striking Russian oil refineries.

For an ordinary user, losing Internet access can be an inconvenience. For armed forces, emergency responders and other essential services, it can have far more serious consequences.

SpaceX also depends on American regulatory approvals and government contracts, giving Washington considerable leverage over the company. If American interests diverge from India's during a crisis, this dependence could become a strategic vulnerability.

India needs alternatives

Keeping Starlink out entirely would sacrifice valuable connectivity, particularly in remote regions. India should retain its strict licensing conditions while improving its ability to check compliance. Starlink continues to evolve and regulation will have new challenges to contend with.

Therefore, a more effective way to reduce the dependency risks is to have alternatives to Starlink. Military and other essential users should maintain backup connections and tested procedures for switching between them. Using more than one satellite internet provider, from countries under different jurisdictions, would reduce dependence on the decisions of a single entity. Expanding ground coverage would reduce the number of communities for whom Starlink will be the only practical option. A parliamentary review found that only 30% of gram panchayats had a functional BharatNet connection as of February 2026.

But fibre and mobile towers cannot cover every ocean, mountain region or remote frontier. India will also need satellite alternatives of its own. India should encourage more domestic constellations and use their demand for satellites and rockets to build Indian industry. Industrial capacity and satellite Internet capacity go hand-in-hand.

India needs enough alternatives to keep essential communications working even when Starlink is unwilling or unable to.

YouTube Homework

- SpaceX
- ITU

महत्वपूर्ण तथ्य

- **परिचय और विवाद:** एलन मस्क द्वारा भारतीय 'कुलीनतंत्र' (oligarchs) पर स्टारलिंक के प्रवेश में बाधा डालने के आरोप के बाद यह सार्वजनिक बहस छिड़ गई है कि भारत का इस पर कितना नियंत्रण होगा।
- **भारत के लिए जोखिम:** भारत का स्टारलिंक पर बहुत सीमित नियंत्रण है; सॉफ्टवेयर और उपग्रहों पर सीधा नियंत्रण स्पेसएक्स (SpaceX) के पास रहता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं।
- **नियामक आवश्यकताएं:** भारत सरकार ने कड़े सुरक्षा नियम लागू किए हैं, जिसके तहत डेटा ट्रैफिक को भारत स्थित ग्राउंड स्टेशनों (गेटवे) से ही गुजरना अनिवार्य किया गया है।
- **वैश्विक अनुभव:** ईरान में बिना अनुमति चल रहे स्टारलिंक टर्मिनलों पर रोक लगाने में मुश्किलें आईं, जबकि यूक्रेन में स्पेसएक्स ने रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे टर्मिनलों को ब्लॉक करने में सहयोग किया।
- **निष्कर्ष और सुझाव:** भारत को स्टारलिंक के फायदों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। संकट के समय विदेशी निर्भरता से बचने के लिए भारत को अपने घरेलू उपग्रह विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए और अन्य वैकल्पिक इंटरनेट प्रदाताओं का उपयोग करना चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

Transparency is essential to institutional credibility



Clement Arockiasamy

A public and social policy analyst, a British Chevening Scholar, and a Master's graduate in Development Studies from the Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex, U.K.. He is the author of the book, 'Dalit Christians – Exclusion by State, Church and Society'

The proposed amendments to the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, have triggered strong reactions from civil society organisations, Opposition parties and Christian institutions. The concerns are not without substance. What it seeks is tighter regulation of foreign-funded organisations, including provisions concerning assets created or acquired through foreign contributions. The Government maintains that the objective is greater transparency, accountability and prevention of misuse of foreign funds, while critics fear possible restrictions on legitimate civil society activity and minority institutions being disproportionately affected. With the Bill referred to a Joint Parliamentary Committee for further scrutiny, there is an opportunity for a reasoned debate.

Foreign contribution cannot become a pretext for suppressing legitimate charitable, educational, health care or social-service activity. At the same time, the receipt and utilisation of foreign funds cannot be placed beyond scrutiny.

Transparency is not an assault on minority rights; it is a condition of public trust. This raises a question for minority institutions opposing the proposed amendments: are they prepared to put their own houses in order? This is not about greater state interference, but about voluntary transparency and accountability to those they claim to serve.

Consider the Catholic Church in Tamil Nadu. The dioceses have established numerous social-service structures and societies dedicated to the poor, vulnerable and marginalised. Their contribution to social development is substantial, but how many ordinary faithful have meaningful access to even the basic financial picture of these institutions? How many can readily see annual income-and-expenditure statements, audited accounts, major sources of funding and the broad utilisation of resources? The more fundamental question is this: should institutions that speak forcefully about accountability to the state, not voluntarily practise an equally high, if not higher, standard of accountability to their faithful, beneficiaries and stakeholders?

Institutional power, financial accountability

The question becomes even more pertinent when one considers the enormous educational and social footprint of popular religious orders such as the Society of Jesus and the Salesians of Don Bosco, as well as the many premier institutions run by dioceses, including medical colleges, and numerous congregations of women religious. Their contribution to education and public life is undeniable. Yet, influence carries responsibility.

Across the educational sector, there have long been allegations and public concerns regarding admission-related donations, capitation and other payments in institutions offering sought-after courses. Such allegations must not be treated as established facts against particular institutions without evidence. But where institutions receive substantial fees, donations, grants or other contributions, a legitimate question remains, a demand for transparency is not an accusation of wrongdoing. On the contrary, the most effective answer to allegations of financial mismanagement or diversion is transparent, independently audited and accessible accounting.

The same principle should apply to religious and social-service organisations. If institutions appeal to the faithful and the public for donations in the name of the poor, education, health care and social development, their stakeholders should reasonably expect a clear picture of how those resources are utilised. Transparency need not mean exposing confidential individual transactions or compromising institutional autonomy. It can simply mean publishing audited annual accounts, broad income-and-expenditure statements, major funding sources and the purposes for which resources are deployed. Such voluntary disclosure would strengthen the moral authority of organisations that are now demanding greater accountability from the state.

Minority institutions opposing the FCRA amendments must demonstrate transparency and accountability themselves

The unfinished question of Dalit Christians

The issue becomes particularly compelling in the context of the Church's advocacy for Dalit Christians. The Catholic Bishops' Conference of India (CBCI) has raised concerns over the FCRA Amendment Bill with the Union Government. Its memorandum has also raised the continuing denial of Scheduled Caste (SC) status to Christians of SC origin and sought an early resolution of the matter pending before the Supreme Court. The CBCI has undertaken initiatives on the issue and its policy documents have acknowledged the persistence of caste discrimination within Indian society and, importantly, within the Church.

For decades, Dalit Christians have awaited a resolution of their claim to SC status. The Church possesses considerable institutional influence, extensive organisational reach and substantial financial resources. Has that influence and capacity been mobilised with the same sustained intensity for the constitutional rights of its most marginalised faithful as it is now being mobilised when the regulatory framework governing its institutions is threatened?

There is an inherent irony here. The Church rightly argues that caste does not disappear when a Dalit becomes a Christian. If that is so, and if caste-based exclusion continues beyond conversion, then the constitutional marginalisation of Dalit Christians should occupy a central place in the Church's public advocacy. It is difficult, therefore, to avoid asking what institutional accountability means if the voices of the most disadvantaged members of the institution remain comparatively weak.

Accountable autonomy

The answer should lie neither in unchecked state power nor in unchecked institutional autonomy, but in accountable autonomy. Minority institutions have made an invaluable contribution to India's educational, healthcare and social landscape, and their right to function freely must be protected.

But institutional freedom carries institutional responsibility. The credibility of their opposition to excessive FCRA regulation will ultimately depend not merely on what they demand from the government, but on what they are willing to disclose to the people who sustain and depend upon their institutions.

Perhaps the most important test of an institution is not how loudly it protests when its own autonomy is threatened, but how openly it answers questions from the poor, the faithful, the beneficiaries, parents, students and the communities it serves. Minority rights and institutional accountability are not opposing principles; they are complementary ones. The state must not use transparency as a pretext to weaken legitimate minority institutions. But minority institutions, in turn, cannot demand transparency from the state while treating transparency to their own stakeholders as optional.

Before asking the state to put its house in order, minority institutions should be willing to open their own doors and demonstrate that their houses are in order.

YouTube Homework

- RTI 2005
- Citizen's Charter

महत्वपूर्ण तथ्य

- **प्रस्तावित FCRA संशोधन:** विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में प्रस्तावित संशोधनों पर नागरिक समाज और धार्मिक संस्थानों द्वारा चिंता जताई गई है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकना है।
- **संस्थानों की जवाबदेही:** पारदर्शिता केवल राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह जनविश्वास की शर्त है। धार्मिक और अल्पसंख्यक संस्थानों को सरकार से जवाबदेही मांगने के साथ-साथ अपने स्वयं के वित्तीय मामलों में भी पूरी पारदर्शिता दिखानी चाहिए।
- **दलित ईसाइयों का मुद्दा:** चर्च और अल्पसंख्यक संस्थानों को दलित ईसाइयों के अधिकारों और उनके साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे पर भी अपनी आंतरिक जवाबदेही और मुखरता दिखानी चाहिए।
- **उत्तरदायी स्वायत्तता:** संस्थागत स्वतंत्रता के साथ संस्थागत जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। संस्थानों को सरकार से पारदर्शिता की मांग करने से पहले अपने खुद के वित्तीय खातों और कामकाज को पारदर्शी बनाना होगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

U.S. court allows suits on NSA Doval, RAW ex-chief

Order issued in civil plea by Khalistani separatist Pannun linked to an alleged assassination plot against him in New York in 2023; External Affairs Ministry rejects charges, calls lawsuit 'frivolous'

Suhasini Haidar
NEW DELHI

A U.S. court on Monday allowed Khalistani separatist and lawyer Gurpatwant Singh Pannun to serve his civil plea on National Security Adviser (NSA) Ajit Doval and former Research and Analysis Wing (RAW) chief Samant Goel through Indian judicial channels, after the State Department submitted that it had served the notice on the two officials at the Indian Embassy in Washington.

The External Affairs Ministry rejected the move, calling the lawsuit "frivolous" and saying such judicial documents must be sent to the Law and Justice Ministry in India. "We reject the fabricated and malicious attacks on our high officials, as also we reject the frivolous lawsuits. Request for serving of judicial documents in India can only be routed through India's designated central authority, that is the Ministry of Law and Justice," Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said.

High-profile summons

The U.S. court order comes after its State Department served notice on the two officials at Indian Embassy in Washington

- Gurpatwant Singh Pannun, a U.S.-based lawyer, is wanted in India on terror charges
- Court asks him to prepare documents and the route by which the summons will be issued by November 30
- Notice delivered to Embassy only a 'legal obligation' and not 'taking a position', says U.S. State Department

> We reject the fabricated and malicious attacks on our high officials, as also we reject the frivolous lawsuits
>
> RANDHIR JAISWAL
> MEA spokesperson



The lawsuit filed by Mr. Pannun, wanted in India on terror charges, is separate but linked to the U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI)'s findings of alleged Indian links to an assassination plot against him in June 2023.

Granting permission for the summons on Monday, U.S. District Judge Katherine Polk Failla directed Mr. Pannun to prepare documents on or before November 30, including the summons addressed to Mr. Doval and Mr. Goel, details of Indian law and procedure, and the route by which the summons would be issued, as well as records of previous attempts at serving the two officials under the Hague Convention. The certificate of submission delivered to the Indian Embassy by the State Department was signed by an official and dated October 9. The State Department said in a footnote that the delivery did not mean it was taking a "position" on the case and it was a "legal obligation".

An undercover Drug Enforcement Agency informant had pointed the FBI investigation into the lawyer's assassination plot to Indian businessman Nikhil Gupta, and to conversations with senior Indian intelligence officials, including Vikash Yadav, regarding a conspiracy to hire a hitman to kill Mr. Pannun in New York.

Mr. Gupta pleaded guilty to the charges, and the U.S. courts have scheduled the sentencing for November 20. Mr. Yadav was arrested in Delhi in December 2023 on separate charges by Indian authorities and was given bail in April 2024.

The FBI and Canadian officials, who are investigating a similar case involving the killing of separatist Harjeet Singh Nijjar in Vancouver in June 2023, appear to have dropped earlier claims of the involvement of more senior officials, including Mr. Doval, Mr. Goel, and Union Home Minister Amit Shah.

In February 2025, when Mr. Doval accompanied Prime Minister Narendra Modi to Washington for a bilateral visit and meeting with U.S. President Donald Trump, Mr. Pannun had tried to serve the NSA with a notice and failed.

YouTube Homework

- NSA

महत्वपूर्ण तथ्य

Russia, Ukraine begin talks mediated by U.S. to end war

Associated Press
ABU DHABI



Key discussion: Members of the Russian and Ukrainian delegations meet in the presence of U.S. envoys in Abu Dhabi on Tuesday. AFP

Three-way talks between Russia, Ukraine, and the U.S. opened in the UAE on Tuesday, as Washington made another push to end the war in Europe which started nearly five years ago. The two-day session in Abu Dhabi is the first such meeting since February. It will focus on establishing future security guarantees for the warring countries, the White House said. While Russia sees the North Atlantic Treaty Organisation as a threat, Ukraine wants to prevent future Russian invasions.

The first day of talks concluded after nearly four hours, the RIA Novosti news agency said. They are expected to resume on Wednesday, according to the press office of the Foreign Intelligence Service of Ukraine.

U.S. President Donald Trump's son-in-law, Jared Kushner, who is trying to broker a settlement along with U.S. envoy Steve Witkoff, said he believed there were "some good ideas how to bridge" the differences between the two sides.

Rustem Umerov, the head of Ukraine's Foreign Intelligence Service who is leading Kyiv's delegation, thanked the U.S. for its efforts to end Russia's invasion. "Our people are waiting to end this war. And we hope that we will achieve the lasting peace for Ukraine," he said.

The head of the Russian delegation, Vladimir Medinsky, expressed hope the meeting "will allow us to advance on the path towards peace in the interests of the people of Russia and the people of Ukraine".

U.S. Secretary of State Marco Rubio called the meeting "very productive" while Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said the session was "constructive and quite substantive."

"It looks like the talks in Abu Dhabi were very productive," Mr. Rubio said in Paris at a G7 meeting. "There's a lot of work to be done in that regard. It's not like something that's on the verge of being solved in the next 24 hours or anything like that."

Mr. Zelenskyy said the talks were largely about humanitarian issues, including prisoner exchanges and returning Ukrainian civilians in captivity, as well as children taken from the country.

NATO commander U.S. Gen. Alexus Grynkewich pointed to "some great progress in the past in a military-to-military dialogue in a trilateral format."

There are no signs the fighting is abating, and the talks come against a backdrop of new long-range strikes by both Russia and Ukraine.

YouTube Homework

- Gaza Peace Plan
- Mecca Pact
- BADR Pact

महत्वपूर्ण तथ्य

- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय शांति वार्ता (Trilateral Peace Talks) आज यानी 10 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है।

कहां हो रहा है?

- यह ऐतिहासिक बैठक अबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात - UAE) में हो रही है। अबू धाबी पहले भी दोनों देशों के बीच कैदियों की अदला-बदली जैसी कूटनीतिक बातचीत के लिए एक तटस्थ मंच (Neutral Venue) रहा है।

कब से कब तक होना है?

- यह बैठक 10 नवंबर और 11 नवंबर 2026 (मंगलवार और बुधवार) को दो दिनों के लिए निर्धारित की गई है।

कौन-कौन शामिल हो रहा है?

- रूस ने इस बात पर जोर दिया है कि यह केवल एक त्रिपक्षीय (Trilateral) वार्ता होगी, जिसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडलों के मुख्य चेहरे इस प्रकार हैं:
- अमेरिका (मध्यस्थ): अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की ओर से उनके शांति दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर इस वार्ता का नेतृत्व कर रहे हैं।
- रूस: रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं। इस बार पहली बार उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव भी इसमें शामिल हैं।
- यूक्रेन: यूक्रेन की ओर से उनके विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख रुस्तम उमेरोव, राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरीलो बुडानोव और सांसद डेविड अराखमिया शामिल हो रहे हैं।
- (नोट: फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के अधिकारी भी अबू धाबी पहुंच रहे हैं, लेकिन रूस की आपत्ति के कारण वे मुख्य वार्ता का हिस्सा न होकर यूक्रेन के साथ अलग से बैठक करेंगे)।

क्या भारत इसका हिस्सा है?

- भारत इस अबू धाबी वार्ता की टेबल पर सीधे तौर पर शामिल नहीं है। यह बैठक पूरी तरह से अमेरिका, रूस undersea और यूक्रेन के बीच ही हो रही है।
- हालांकि, भारत पर्दे के पीछे से शांति बहाली में बेहद सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस वार्ता के ठीक एक दिन पहले, 9 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की और शांति प्रयासों में भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बातचीत की है, जिससे साफ है कि भारत दोनों पक्षों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है।

महत्वपूर्ण तथ्य

FBI probing Jensen Huang's affair with alleged Chinese agent: Trump

U.S. President says he spoke to the Nvidia CEO who told him that 'he had absolutely no idea that the person in question was a spy'; Huang earlier acknowledged he had an affair, issuing an apology to his wife and to the company in an open letter

Associated Press
WASHINGTON

U.S. President Donald Trump said on Monday the FBI is investigating Nvidia CEO Jensen Huang's affair with an alleged Chinese government agent, but said he doesn't think the executive who has helped to develop artificial intelligence has a reason to worry.

"I know the FBI is looking into it in terms of something else, and I think that he'll be in good shape," Mr. Trump said at a White House briefing.

The sudden emergence of Huang's infidelity has rocked the political class and America's tech sector, creating new concerns about whether China has been able to access the cutting-edge chips designed by Nvidia that are powering the development of artificial intelligence.



Donald Trump stands with Jensen Huang after presenting him with the National Medal of Science in Washington on October 8. REUTERS

Mr. Trump suggested the extraordinary step of directly involving himself in a counterintelligence investigation, a sign of his friendly relationship with Mr. Huang and the possible geopolitical stakes.

"I did speak to him today just to see if he's feeling all right, how you're doing," Mr. Trump said. "He said he had absolutely no idea that the person in question was a spy."

Mr. Huang – a singular figure in the technology landscape and one of the world's wealthiest people – has acknowledged he had an affair, issuing an apology to his wife and to the company in an open letter posted on Nvidia's website. The *New York Times* reported that U.S. intelligence determined that the woman was gathering information for Beijing.

"I support the investigation and will cooperate fully. I love our country and our company. I am committed to protecting NVIDIA and supporting America's national security," Mr. Huang said in his letter.

Nvidia announced Sunday it was conducting an independent investigation into reports that Mr. Huang was the "target of a foreign intelligence effort." The episode also is attracting congressional scrutiny, with top Democrats Sen. Mark Warner and Rep. Hakeem Jeffries saying they are interested in investigating it further.

महत्वपूर्ण तथ्य



Smog rider: A man drives a motorised tricycle amid air pollution in Lahore, Pakistan, on Monday. REUTERS

Pakistan blames Deepavali fireworks in India for toxic air

Reuters
ISLAMABAD/NEW DELHI

Pakistan blamed poor air quality this week on pollution drifting from neighbouring India, where firecrackers set off during the Deepavali festival over the weekend blanketed much of the north in toxic smog.

The northern Pakistani city of Lahore topped Swiss group IQAir's ranking of the world's most polluted major cities for a second day on Tuesday, with an air quality index (AQI) of 263, categorised as "very unhealthy".

The city's concentration of PM2.5, harmful airborne particles small enough to penetrate deep into the lungs, was 37.2 times above the World Health Organization's guidelines, IQAir said.

Pakistani Punjab's Environment Protection Minister Marriyum Aurangzeb said pollutants had been carried into the region by light winds and air drifting from India in the aftermath of Deepavali.

"However, air pollution is expected to gradually decrease from early afternoon as weather conditions improve and winds shift direction," she said.

The External Affairs Ministry did not immediately respond to a request for comment.

IQAir ranked Delhi the world's second-most polluted major city on Tuesday, with an AQI of 188. The Government data showed that firecrackers were responsible for nearly 55% of the PM2.5 in the capital a day earlier.

Vehicle emissions, construction dust and smoke from crop-waste burning are also major contributors to winter pollution on both sides of the border.

महत्वपूर्ण तथ्य

The End of Everything wins Booker for fiction

Associated Press
LONDON

British writer M. John Harrison won the Booker Prize for fiction on Monday for *The End of Everything*, a satirical dystopian novel whose themes of "catastrophe and apocalypse" chime with our uneasy times. It is the first work of science fiction to take the prestigious $67,000 literary award, but 81-year-old Harrison said he doesn't want to be hemmed in by the sci-fi label.

He said Booker recognition after six decades as an author shows that the era of "genres as fences and boxes, pigeonholes, is over".



Accolades galore: M. John Harrison poses with the trophy after winning the Booker Prize in London on Tuesday. AP

"I think this book shows, and the prize now shows, that it is very possible to write a book that mixes not just two genres, but three or four," Mr. Harrison said at a post-ceremony news conference.

Mr. Harrison beat five other finalists including previous winners Douglas Stuart and Marlon James, who had been the odds-makers' favourites, and Pulitzer Prize laureate Elizabeth Strout.

Dystopian theme

The End of Everything is set on England's Channel coast in the near future, after an unspecified calamity has shattered society and brought an influx of enigmatic alien entities to Britain. It centres on a beachcomber who lives with his gun-toting aunt and discovers a puzzling, shape-shifting artifact on the shore.

Asked what he wanted to convey to readers, Mr. Harrison said: "It's a grim world, and it'll keep on being grim. And it's weird. But at the end of things there may be some kind of – I wouldn't say hope, or closure, but there might be some kind of relief."

Historian Mary Beard, who chaired the judging panel, said the book is "the politics of now seen through the lens of the future," and about a society "undergoing a catastrophe that they don't really understand."

Critics have praised the book's dark humour, though some have been confused by its elusive narrative.

YouTube Homework

- **Nobel Prize**

महत्वपूर्ण तथ्य

- फिक्शन (Fiction) के लिए साल 2026 का बुकर पुरस्कार (Booker Prize) ब्रिटिश लेखक एम. जॉन हैरिसन (M. John Harrison) को उनके उपन्यास "द एंड ऑफ एवरीथिंग" (The End of Everything) के लिए दिया गया है। 81 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीतकर वह बुकर पुरस्कार के इतिहास में इसे जीतने वाले सबसे उम्रदराज लेखक बन गए हैं।

1. इस बार के विजेता उपन्यास के बारे में ("द एंड ऑफ एवरीथिंग")

- थीम और कहानी: यह एक डार्क-सैटायर (व्यंग्यात्मक) और पोस्ट-अपोकैल्पिक (प्रलय के बाद की दुनिया) पृष्ठभूमि पर आधारित विज्ञान फंतासी (Science Fiction) उपन्यास है। इसमें आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बढ़ रही चिंताओं और समाज में उम्मीदों के टूटने को दर्शाया गया है।
- मुख्य किरदार: कहानी मुख्य रूप से एक समुद्र तट पर चीजें तलाशने वाले व्यक्ति (Beachcomber) फिलिप टेनेंट और उसकी डिमेंशिया (भूलने की बीमारी) से पीड़ित, आज़ाद ख्याल मौसी 'मार्नी' के इर्द-गिर्द घूमती है। वे एक ऐसे इंग्लैंड के तट पर जीवन बिता रहे हैं जहां 'iGhetti' नाम की रहस्यमयी और अजीबोगरीब चीजें आ गिरती हैं।
- जजों की टिप्पणी: जजों के पैनल की प्रमुख मैरी बियर्ड ने बताया कि यह किताब अपनी उत्कृष्ट और विशेषज्ञ लेखन शैली के साथ-साथ अपनी बहुत बड़ी और अनूठी महत्वाकांक्षा के कारण बाकी किताबों से आगे रही।

2. बुकर पुरस्कार (Booker Prize) क्या है?

- बुकर पुरस्कार साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित पुरस्कार माना जाता है।
- शुरुआत: इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई थी। शुरुआत में इसे 'मैन बुकर पुरस्कार' (Man Booker Prize) के नाम से भी जाना जाता था।
- किसे दिया जाता है: यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम (UK) या आयरलैंड में प्रकाशित हुए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण-लंबाई वाले उपन्यास (Novel) को दिया जाता है। पहले यह केवल राष्ट्रमंडल (Commonwealth) देशों के लेखकों तक सीमित था, लेकिन 2014 से इसे दुनिया भर के किसी भी लेखक के लिए खोल दिया गया, बशर्ते उनकी किताब अंग्रेजी में लिखी गई हो और UK/आयरलैंड में पब्लिश हुई हो।
- इनामी राशि: विजेता लेखक को £50,000 (लगभग 67,000 डॉलर) की भारी-भरकम राशि दी जाती है। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट (नामित) होने वाले बाकी पांच लेखकों को भी £2,500 की राशि मिलती है।
- फायदा: इस पुरस्कार को जीतने के बाद उस किताब की बिक्री और लेखक की वैश्विक पहचान रातों-रात आसमान छूने लगती है, जिसे पब्लिशिंग की दुनिया में 'बुकर बाउंस' कहा जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

Pranab Mukherjee hinted at desire to become PM: Sonia

In her memoir, she recalls 2010 conversation when Mukherjee suggested that perhaps 'it was time for a change at the top'; Congress leader also describes her strained relationship with Maneka

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Former President Pranab Mukherjee had "shocked" Sonia Gandhi by hinting at his "long-held desire" to become Prime Minister during a conversation with her in 2010, suggesting that perhaps it was time for a "change at the top", the former Congress president has written in her memoir, *Belonging: A Journey of Love*.



A man leaves after purchasing Sonia Gandhi's newly released memoir, at a bookstore in New Delhi on Tuesday. SHASHI SHEKHAR KASHYAP

The book, published by HarperCollins, was made available in bookstores on Tuesday, but the official launch is likely to take place on November 16.

Mukherjee, then a senior member of the Manmohan Singh Cabinet, had developed serious differences with the then Finance Minister P. Chidambaram. He would at times stay back for conversations with Ms. Gandhi after meetings of the Congress Strategy Group, which was set up to discuss parliamentary business.

"On one occasion, in 2010, I think after expressing his frustration, he shocked me with the suggestion that perhaps it was time for a change at the top, which I understood as a hint of his long-held desire to become Prime Minister," she wrote. "I gently changed the subject, and though he may have been disappointed, he never made me feel he held it against me," she added.

The late Pranab Mukherjee, who had served in Indira Gandhi's Cabinet in the 1970s, was part of a core group that met weekly with Singh to coordinate the functioning of the government and the party. Other members included Arjun Singh, A.K. Antony, and Ahmed Patel.

Ms. Gandhi says she often called on Mukherjee after he became President in 2012, largely to converse with the "erudite and knowledgeable politician that he always remained".

'Not a crime'

Hitting back at Ms. Gandhi, Sharmistha Mukherjee, the late President's daughter, said it was not a crime to be ambitious.

"What's there to be shocked about?" she asked in a post on X in response to Ms. Gandhi's remarks.

"Is it a crime to be ambitious, especially when that 'ambition' was supported by decades of experience in politics and governance, hard work and a brilliant mind? Once, when asked by me whether he wanted to become PM, he very candidly answered that 'any politician worth his salt has this ambition'," she wrote.

On relations with Modi

On her relationship with Prime Minister Narendra Modi, Ms. Gandhi said she had "practically no real contact" with him. At semi-official gatherings, they exchange formal *namastes*, but "he tends to look away, avoiding eye contact", she wrote.

The memoir also recounted her strained relationship with Maneka Gandhi, describing how domestic differences following her marriage to Sanjay Gandhi gradually spilled into politics.

She recalled Indira Gandhi's displeasure with Ms. Maneka's political activities, particularly after the Emergency, and the eventual break in ties, with the younger daughter-in-law walking out of the family home.

Sonia's book tries to give her family clean chit over 1984 Sikh massacre: BJP

The Hindu Bureau
NEW DELHI

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Tuesday alleged that former Congress president Sonia Gandhi, through her book, attempted to shield former Prime Minister Rajiv Gandhi and the Congress leadership from responsibility for the 1984 anti-Sikh massacre.

At a press briefing, senior BJP leader Harvinder Singh Phoolka said: "In the book that Sonia Gandhi has published, she has tried to give her family a clean chit over the massacre of Sikhs." He alleged that the book's account, which was in "complete contradiction of the official record", wrongly attributed the delay in deploying the Army to General A.S. Vaidya.

"First, as per the Misra Commission's report, 6,100 soldiers were available in Delhi on the night of October 31 and the morning of November 1, but they were not deployed in time. The Commission also wrote that if 5,000 of these soldiers had been made to march through Delhi's streets on the morning of November 1, at least 2,000 Sikhs could have been saved. Both the Misra Commission and the Nanavati Commission made the same point in their reports," he said.

> Rajiv Gandhi was the country's Prime Minister at the time. If he was not directly responsible himself, what action did he take against those who failed to mobilise the Army present in Delhi on the morning of November 1? Instead, at his first public rally, Rajiv Gandhi said: 'When a big tree falls, the earth shakes a little.' In this way, he tried to justify the entire massacre
> **HARVINDER SINGH PHOOLKA**
> BJP leader



"The Misra Commission says that even if Rajiv Gandhi had alerted General Vaidya, the Army Chief's job is only to keep the Army ready, while administrative officials are responsible for calling in the Army and deploying it in the field. The administrative machinery neither called in the Army in time nor deployed it," said Mr. Phoolka.

"Rajiv Gandhi was the country's Prime Minister at the time. If he was not directly responsible himself, what action did he take against those who failed to mobilise the Army present in Delhi on the morning of November 1? Instead, at his first public rally, Rajiv Gandhi said: 'When a big tree falls, the earth shakes a little.' In this way, he tried to justify the entire massacre," he said.

Union Minister Giriraj Singh accused Ms. Gandhi of being selective in expressing grief over incidents such as Babri and Batla House, but not over Godhra and Pahalgam incidents. He said her book should have addressed what he described as former Prime Minister Jawaharlal Nehru's mistakes, including Tibet and Articles 370 and 35A.

महत्वपूर्ण तथ्य

Sanjit 'Bunker' Roy, social activist and Barefoot College founder, passes away

He founded Barefoot College in Tilonia, Rajasthan as 'a place for cop-outs, drop-outs and wash-outs' and not for certificate chasers; it enabled villagers to identify their own challenges, develop local solutions and manage resources independently

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

One of the foundational figures of modern civil society in India and the founder of Barefoot College, Sanjit "Bunker" Roy, died at his home in Tilonia in Ajmer district of Rajasthan on Tuesday morning. He was 81.

"He went peacefully as he wanted to in his own home in Tilonia, surrounded by Aruna [prominent activist Aruna Roy, his wife] and some of the countless people who loved and cared for him deeply, passionately," the Social Work and Research Centre (SWRC), also known as Barefoot College, said in a statement.

Roy's activism began at a time when social work was often viewed with disdain. Ms. Roy recalls in her memoir, *The Personal is Political*, that when she was serving as a sub-divisional magistrate (SDM) in Delhi, a chief metropolitan magistrate reacted dismissively after learning that Bunker Roy was a social worker. "*Kahin naukri nahin mili hogi* (He must not have landed a job anywhere)," her colleague quipped. The magistrate's attitude changed dramatically, however, when he later discovered that Bunker Roy was the national squash champion, and promptly sought Roy's help in securing membership to the prestigious Delhi Gymkhana Club.



Sanjit Roy founded the Social Work and Research Centre in Tilonia in 1972. SPECIAL ARRANGEMENT

Early education

Roy studied at the Doon School alongside Rajiv Gandhi and attended St. Stephen's College, Delhi, between 1962 and 1967. He won the national squash championship in 1965 and represented India in three world championships. In a TED Talk posted online 15 years ago, he described his elite education as "snobbish" and "expensive", saying it had "almost destroyed" him.

He was 21 when famine struck Bihar in 1966. Consecutive monsoons had failed. The horrors of extreme poverty, with people dying of starvation, changed the course of his life, and he decided to spurn the "whole world laid out for him".

In 1972, Roy founded the Social Work and Research Centre in Tilonia. In the same TED Talk, he described it as "a place for cop-outs, drop-outs and wash-outs" and not for certificate chasers. It had a bottom-up approach, enabling the villagers to "identify their own challenges, develop local solutions and manage their resources independently", working towards community-based water management and renewable energy initiatives.

Paying tribute, Congress MP Shashi Tharoor said Roy's vision of training rural grandmothers as "Barefoot Solar Engineers" had helped bring electricity to thousands of off-grid homes across India and other developing countries, while advancing community empowerment and environmental stewardship.

'Institution builder'

Congress general secretary (communication) Jairam Ramesh said Roy believed that civil society "must cooperate where they can, collaborate where they should, and confront where they must". Roy, he said, worked closely with the Rajiv Gandhi government in areas such as drinking water, immunisation, and adult literacy.

Sam Pitroda, who served as an adviser to Rajiv Gandhi and worked with Roy, remembered him as an "institution-builder" whose impact extended far beyond the communities he served. Former Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot said Roy made significant contributions to rural self-reliance, education, and development.

CPI general secretary D. Raja described Roy as a pioneering social activist and educationist whose work would continue to inspire those committed to equality, dignity, and social justice.

Writer Amitav Ghosh noted that despite opportunities to pursue a distinguished career in diplomacy or bureaucracy, Roy chose instead to dedicate his life to addressing rural poverty, calling him "a true hero".

Among the many honours Roy received were the Padma Shri in 1986, the Jamnalal Bajaj Award for Application of Science and Technology for Rural Development in 1985, the Tyler Prize for Environmental Achievement in 2004, the Skoll Award for Social Entrepreneurship in 2005, and the Blue Planet Prize in 2011. In 2010, *TIME* magazine named him among the world's 100 most influential people.

महत्वपूर्ण तथ्य

- संजीत "बंकर" रॉय (Sanjit "Bunker" Roy) भारत के एक बेहद प्रतिष्ठित और दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद और राजस्थान के तिलोनिया में स्थित प्रसिद्ध 'बेयरफुट कॉलेज' (Barefoot College) के संस्थापक थे। उनका निधन 10 नवंबर 2026 को 81 वर्ष की आयु में राजस्थान के अजमेर जिले के तिलोनिया स्थित उनके आवास पर हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय की मौजूदगी में अंतिम सांस ली।

बंकर रॉय का प्रारंभिक जीवन और बैकग्राउंड

- विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में जन्म: बंकर रॉय का जन्म 1945 में एक उच्च-मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था।
- प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा: उन्होंने देश के सबसे महंगे और नामी स्कूलों में से एक, 'द दून स्कूल' (The Doon School) से पढ़ाई की और उसके बाद दिल्ली के 'सेंट स्टीफंस कॉलेज' से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की।
- राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन: वह एक बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। वर्ष 1965 में वे भारतीय राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन बने और तीन विश्व स्क्वैश प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया।

जीवन को बदलने वाला वो एक मोड़

- एक समृद्ध और विलासितापूर्ण जीवन छोड़कर ग्रामीण भारत की सेवा करने का फैसला उन्होंने अचानक नहीं लिया था। वर्ष 1966 में जब बिहार (अब झारखंड का पलामू क्षेत्र) भीषण अकाल की चपेट में था, तब रॉय ने वहां का दौरा किया। वहां उन्होंने अत्यधिक गरीबी और भूख से तड़पते लोगों को देखा, जिसने उनके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। इसके बाद उन्होंने शहरों के एलीट करियर को छोड़ गांवों की दशा सुधारने का संकल्प लिया।

'बेयरफुट कॉलेज' (Barefoot College) की स्थापना

- तिलोनिया का सफर: वर्ष 1972 में उन्होंने राजस्थान के अजमेर जिले के एक छोटे से गांव तिलोनिया में 'सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर' (SWRC) की शुरुआत की, जिसे बाद में बेयरफुट कॉलेज के नाम से वैश्विक पहचान मिली।
- गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित: इस कॉलेज की नींव महात्मा गांधी के ग्राम स्वावलंबन (आत्मनिर्भरता) के विचारों पर रखी गई थी।
- डिग्री की कोई जरूरत नहीं: रॉय का मानना था कि साक्षरता और बुद्धिमत्ता में फर्क होता है। इस कॉलेज में किसी औपचारिक डिग्री की जरूरत नहीं थी; यहाँ अनपढ़ या बेहद कम पढ़े-लिखे ग्रामीण ही शिक्षक भी थे और छात्र भी।

महत्वपूर्ण तथ्य

'सोलर ममास' (Solar Mamas) और उनका वैश्विक योगदान

- बंकर रॉय की सबसे क्रांतिकारी पहलों में से एक थी ग्रामीण, अनपढ़ महिलाओं (विशेषकर दादियों और नानियों) को "बेयरफुट सोलर इंजीनियर" के रूप में प्रशिक्षित करना।
- इन महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, मरम्मत और रखरखाव का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता था।
- प्रशिक्षण के बाद ये महिलाएं अपने गांवों को रोशन करती थीं।
- यह अनूठा मॉडल इतना सफल रहा कि भारत के अलावा अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के 96 देशों की ग्रामीण महिलाएं इस तकनीकी कौशल को सीखने तिलोनिया आने लगीं, जिन्हें "सोलर ममास" कहा गया।

पुरस्कार और सम्मान

- ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले:
- पद्म श्री (1986): भारत सरकार द्वारा देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।
- टाइम 100 (2010): प्रतिष्ठित 'टाइम' पत्रिका ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल किया था।
- इसके अलावा उन्हें जमनलाल बजाज पुरस्कार, क्लिंटन ग्लोबल सिटिजन अवार्ड और ब्लू प्लैनेट प्राइज से भी नवाजा गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Azadi Ka Amrit Mahotsav

व्यावसायिक जोखिम से सुरक्षित आजीविका तक

नमस्ते योजना के माध्यम से सम्मान का एक नया अध्याय

प्रविष्टि तिथि: 10 NOV 2026 6:45PM by PIB Delhi

श्री सुब्रमणियन (बदला हुआ नाम) की यात्रा दर्शाती है कि सफाई कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है।

नमस्ते योजना के माध्यम से, सुरक्षा सामग्रियों की उपलब्धता एवं जागरूकता प्रशिक्षण ने उन्हें अधिक आत्मविश्वास, बेहतर स्वास्थ्य एवं सम्मान के साथ अपना काम जारी रखने में मदद की है। उनका अनुभव दर्शाता है कि किस प्रकार से नमस्ते योजना के अंतर्गत किए गए लक्षित प्रयास, स्वच्छता कर्मियों को काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों की प्राप्ति, आजीविका के बेहतर अवसरों और ज्यादा सम्मानजनक भविष्य प्राप्त करने में योगदान देते हैं।

60 वर्षीय श्री सुब्रमण्यन पुडुचेरी नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं और अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। उन्होंने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई जैसे कठिन काम में 15 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवा प्रदान की है। अपने काम के दौरान, उन्हें प्रायः खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा और अक्सर उनके पास सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरण या काम से जुड़ी सुरक्षा प्राप्त नहीं हुई। खतरनाक कचरे के लगातार संपर्क में रहने के कारण उन्हें बार-बार त्वचा संबंधी संक्रमण एवं सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा जिसके कारण उनके नियमित रूप से काम करने एवं स्वस्थ रहने की क्षमता पर बुरा असर पड़ा।

श्री सुब्रमण्यन के परिवार में चार सदस्य हैं और वह घर अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं। उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण परिवार पर काफी आर्थिक बोझ बढ़ गया। बार-बार होने वाले चिकित्सा खर्चों ने परिवार के सीमित संसाधनों पर और दबाव बढ़ा दिया जबकि उनकी 12,000 रुपये की मामूली मासिक आय से घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। इन कठिनाइयों के बावजूद वह अपने काम के प्रति समर्पित रहे और अपनी सुरक्षा एवं भलाई का ध्यान रखते हुए, सम्मान के साथ अपनी आजीविका की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहे।



Home Assignment

- World Sparrow Day
- YUVA AI For ALL

Thanks For Watching

Learn
Share
Grow
Together ♡

Better
Students
Brighter
Tomorrow

Follow us for more Updates

@RRESULTMITRAOFFICIAL

Join our Telegram

@SUNILVERMA_THEIASMENTOR

Follow on Instagram

Subscribe Now

Stay Connected



